समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015

(दिनांक 16.06.2017 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	65 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2015	09.09.2015
शुद्धिपत्र –छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	72 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2015	04.10.2016
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्ते) प्रथम संषोधन विनियम 2016	76 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2016	16.06.2017

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शान्ति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 04 / 03 / 2016

विनियम

क्रमांक–67 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2016 – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा क्रमांक–65 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2015 Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015 दिनांक 09 / 09 / 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यह विनियम उपरोक्त अंग्रेजी विनियम का हिन्दी अनुवाद है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 सहपठित धारा 181(2) और धारा 32(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस हेतु आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015।

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(i) ये विनियम ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015'' कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम, अधिनियम की धारा–62 के अधीन टैरिफ एवं धारा 32(3) के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 से वित्तीय वर्ष 2020–2021 तक की अवधि में लागू रहेंगे और आगे भी, तब तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को संशोधित अथवा नये विनियमों द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता।

2. विस्तार और क्षेत्र :

2.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालन कर रहे निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगेः–

क. राज्य पारेषण उपक्रम;

ख. ऐसे समस्त उत्पादन केन्द्र, जो राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्यक्ष अथवा राज्य के विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से, दीर्घावधिक अनुबंध के अधीन विद्युत की आपूर्ति करते हों; इनमें वे उत्पादन केन्द्र सम्मिलित नही होंगे, जो केन्द्रीय आयोग के क्षेत्राधीन हों और ऐसे नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले केन्द्र भी सम्मिलित नही होंगे, जो राज्य में स्थित हों और जिनका टैरिफ, सुसंगत विनियमों और आदेशों के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता हो।

ग. समस्त राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी;

घ. समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी, और

ड. राज्य भार प्रेषण केन्द्र;

2.2 ये विनियम एकल उत्पादन केन्द्रो, थोक उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे।

परन्तु ऐसे एकल उत्पादनकर्ता जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के उद्देश्य हेतु अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जा सकने वाले किन्हीं अन्य उद्देश्यों हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग ऊर्जा मापन अथवा लेखांकन के लिए करते है, को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों का भुगतान करना होगा।

2.3 इन विनियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और उसमें हुए संशोधनों अथवा अधिनियमितियों से शासित होंगी।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आशयित न हो –

3.1 **''अधिनियम''** से अभिप्रेरित है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र.–36 सन् 2003) अथवा उसमें हुए कोई संशोधन अथवा उसका परवर्ती कोई अधिनियमन;

3.2 **''अतिरिक्त पूंजीकरण''** से अभिप्रेत है, परियोजना का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात्, विनियम 19 के प्रावधानों के अधीन आयोग द्वारा सावधानीपूर्ण जांच के उपरांत स्वीकृत किया गया कोई पूंजीगत व्यय या संभावित पूंजीगत व्यय;

3.3 **''सकल राजस्व आवश्यकता''** अथवा ''ए.आर.आर.'' से अभिप्रेत है, ऐसी लागत, जो अनुज्ञप्त और/अथवा ऐसे विनियमित व्यवसाय से संबंधित हों तथा जो इन विनियमों के अनुसार अनुमत हों, और जिन्हें आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ और प्रभारों से वसूल किया जाये;

3.4 **''आवंटन मैट्रिक्स**'', इन विनियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट किए गए तत्वों से मिलकर बनेगी;

3.5 **''आवेदक''** से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई उत्पादन कंपनी, जिसने इन विनियमों और अधिनियम के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन किया है अथवा सत्यांकन (ट्रू अप) हेतु आवेदन किया है;

3.6 **''अंकेक्षक''** से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन कंपनी अथवा किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 224 अथवा धारा 233 बी अथवा धारा 619 के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त किया गया हो;

3.7 **''सहायक ऊर्जा खपत''** या ''AUX" किसी उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, किसी अवधि में, उत्पादन केन्द्र के अंदर सहायक उपकरणों, जैसे संयंत्र के संचालन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण और यंत्र जिसमें उत्पादन केन्द्र का स्विच यार्ड भी सम्मिलित है, द्वारा की गई ऊर्जा की खपत और ट्रान्सफार्मर में ऊर्जा ह्रास की मात्रा, जिसे उस उत्पादन केन्द्र की सभी इकाइयों के उत्पादन टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा (विद्युत) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है;

परन्तु ऐसी सहायक ऊर्जा खपत में आवासीय कॉलोनी में और उत्पादन केन्द्र पर अन्य सुविधाओं हेतु की गयी ऊर्जा खपत और उत्पादन केन्द्र पर किये जा रहे विनिर्माण कार्यो पर की गयी ऊर्जा खपत सम्मिलित नही होगी।

3.8 **''आधार वर्ष''** से अभिप्रेत है, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती और इन विनियमों के उद्देश्यो के लिए प्रयुक्त वित्तीय वर्ष अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2015–16;

3.9 **''हितग्राही''**

(क) किसी **'उत्पादन केन्द्र'** के संबंध में अभिप्रेत है, वह व्यक्ति, जो ऐसे केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत को वार्षिक स्थिर प्रभारों और/अथवा विद्युत प्रभारों के भुगतान पर क्रय कर रहा है; और

(ख) **'पारेषण प्रणाली'** के संबंध में अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011 में यथापरिभाषित दीर्घावधिक और/अथवा मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक, और उसमें ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने राज्य पारेषण उपक्रम (एसटीयू)/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पारेषण सेवा अनुबंध किया है।

3.10 **''पूंजीगत लागत''** से अभिप्रेत है, विनियम–18 में यथापरिभाषित पूंजीगत लागत;

3.11 **''पूंजी निवेश योजना''** इन विनियमों के विनियम–7 में विनिर्दिष्ट तत्वों से मिलकर बनेगी;

3.12 **''विधि में परिवर्तन''** से अभिप्रेत है, निम्नांकित में से किसी का भी घटित होना :

(i) ऐसा अधिनियमन, जिससे किसी विधि की प्रभावशीलता, अंगीकरण, घोषणा, संशोधन, रूपान्तरण अथवा निरसन कारित हो ; या

(ii) किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारत सरकार का तंत्र जो ऐसी व्याख्या हेतु कानूनी रूप से अंतिम अधिकार प्राप्त हो, कानून के किसी व्याख्या में परिवर्तन करे।

(iii) किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई राय, अनुमति या परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त अनुज्ञप्ति में परिवर्तन।

3.13 **''आयोग''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–82 की उपधारा (1) में संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

3.14 **''नियंत्रण अवधि''** से अभिप्रेत है, 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक आयोग द्वारा निर्धारित बहुवर्षीय अवधि;

3.15 **''विभेदन हेतु निर्दिष्ट दिनांक (कट ऑफ दिनांक)''** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के वर्ष के दो वर्ष उपरांत समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, और जहां परियोजना को किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में संचालित हुआ घोषित किया गया है, वहां ऐसी विभेदन दिनांक वाणिज्यिक संचालन के वर्ष से तीन वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च होगी;

3.16 **''वाणिज्यिक संचालन की दिनांक'' या सी.ओ.डी.** से अभिप्रेत है –

3.16.1 तापीय उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई या ब्लॉक (समूह) के संबंध में, हितग्राहियों को सूचित करके उत्पादन इकाई के सफल परीक्षण संचालन के द्वारा अधिकतम निरंतर क्षमता या स्थापित क्षमता को प्रदर्शित कर उत्पादक द्वारा घोषित दिनांक को; 00.00 बजे से; जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता और समय–समय पर यथासंशोधित में अनुसूचित हो, का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाए, और समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र के संबंध में उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई ब्लॉक की संचालन दिनांक माना जाए।

3.16.2 किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत उत्पादन कम्पनी द्वारा घोषित वह दिनांक जिसके 00:00 बजे से, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसरण में अनुसूचीकरण प्रक्रिया के अनुरूप पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाता है, और समग्र रूप से उस उत्पादन केन्द्र के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत एक सफल परीक्षण संचालन के माध्यम से उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के अनुसार बढ़त क्षमता को प्रदर्शित करने की घोषित दिनांक।

टीपः

1. ऐसे प्रकरण में जहॉ बांध या जलाशय सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, जलाशय या तालाब के अपर्याप्त जल स्तर की वजह से प्रतिष्ठापित क्षमता से संगत बढ़त क्षमता प्रदिर्शित नहीं कर पाता है, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक को समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक संचालन दिनांक समझा जायेगा, बशर्ते ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना, तब अनिवार्य होगा जब और जहॉ, ऐसे जलाशय या तालाब का जल–स्तर प्राप्त हो जाता है।

2. शुद्ध रूप से नदी प्रवाह वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में यदि ऐसी इकाई या ऐसा विद्युत उत्पादन केन्द्र वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत दुर्बल प्रवाह अवधि, जिस दौरान ऐसे प्रदर्शन हेतु जल पर्याप्त न हो, में घोषित किया जाता है तब ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई को स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना तब अनिवार्य होगा जब और जहां, पर्याप्त जलागम उपलब्ध हो जाये।

3.16.3 पारेषण प्रणाली के संबंध में राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित दिनांक को 00.00 बजे से, जब सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के पश्चात् विद्युत पारेषण और प्रेषण सिरे से प्राप्ति सिरे तक संचार–सिंग्नल प्राप्त करने तथा विद्युत प्रवाह के लिए ऐसी प्रणाली, नियमित सेवा में आ जाती है;

परन्तु जहां ऐसी पारेषण लाईन अथवा उपकेन्द्र किसी विशिष्ट उत्पादन केन्द्र से ऊर्जा निकासी हेतु समर्पित है वहां उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणाली को यथा व्यवहार्य रूप से साथ–साथ प्रारम्भ करने का प्रयास करेंगे;

परन्तु, ऐसी दिनांक किसी कैलेन्डर माह की पहली तिथि होगी और इसकी उपलब्धता उसी दिनांक से गिनी जायेगी;

परन्तु, यह और भी कि ऐसे प्रकरण में जहॉ पारेषण प्रणाली के तत्व (ऐलीमेंट) नियमित सेवा के लिए तैयार हों, किन्तु वे ऐसे कारणों से सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ हों जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इसके प्रदायकर्ताओं अथवा संविदाकर्ताओं की वजह से न हो, तो आयोग ऐसे तत्वों के नियमित सेवा में आने से पूर्व की दिनांक को वाणिज्यिक संचालन का दिनांक अनुमोदित कर सकेगा;

3.16.4 किसी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के संबंध में वाणिज्यिक संचालन दिनांक से अभिप्रेत है, ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 00.00 बजे से घोषित दिनांक जिसको कोई संचार प्रणाली अथवा उसका तत्व स्थल स्वीकृति जांच पूरा होने, जिसमें वाइस तथा डाटा का संबंधित नियत्रण केन्द्र को स्थानान्तरण संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा प्रमाणित सम्मिलित है, को सेवा में ले लिया जाए;

3.16.5 **''किसी वितरण प्रणाली के संबंध में''** वाणिज्यिक संचालन के दिनांक से अभिप्रेत है, विद्युत लाईनो या उपकेन्द्रो को उनके घोषित वोल्टेज स्तर तक आवेशित करने का दिनांक। उन मामलों में जहां लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) को आवेषण हेतु तैयार घोषित किया गया हो किन्तु अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कारणों से, जो उस पर आरोपणीय न हो, आवेषण करने की स्थिति में न हो वहां ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) के संबंध में संचालन की दिनांक, ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र (द्रों.) को आवेषण योग्य घोषित किए जाने से 7 दिनों के पश्चात की दिनांक मानी जाएगी;

3.17 **''दिवस''** से अभिप्रेत है 00.00 बजे से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि;

3.18 **''वि–पूंजीकरण''** इन विनियमों के अन्तर्गत टैरिफ के उद्देश्य से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा यथा–अनुमत परिसम्पत्तियों के बहिष्करण/विलोपन की तुलना में परियोजना की सकल स्थायी परिसम्पत्तियों में कमी;

3.19 **''घोषित क्षमता'' अथवा ''डी.सी.''** किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है जल तथा ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिन के किसी अवधि या सम्पूर्ण दिन के लिए उस उत्पादन केन्द्र द्वारा मेगावॉट में घोषित एक्स–बस विद्युत प्रदान करने की क्षमता, और जैसा कि सुसंगत विनियम में अग्रेत्तर रूप से अर्हित किया जाए;

3.20 **''वि–प्रवर्तन''** से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई या संचार प्रणाली सहित पारेषण प्रणाली अथवा उसका कोई तत्व या भार प्रेषण केन्द्र के उपस्कर जिनमें संचार प्रणाली अथवा उसका कोई तत्व या वितरण प्रणाली अथवा उसका कोई तत्व सम्मिलित है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सत्यापन के बाद, चाहे तो स्वतः अथवा परियोजना विकासकर्ता अथवा हितग्राहियों या दोनों की ओर से इस आशय का आवेदन किए जाने के पश्चात कि ऐसी परियोजना परिसम्पत्तियों के तकनीकी रूप से कालातित

हो जाने के कारण गैर–निष्पादन अथवा अलाभकारी संचालन अथवा इन कारको के किसी संयोजन की वजह से संचालन संभव नहीं है, सेवा से हटाए जाना;

3.21 ''**रूपांकन ऊर्जा (डिजाईन एनर्जी)**'' जल विद्युत केन्द्र के प्रकरण में, से अभिप्रेत है, ऐसी ऊर्जा की मात्रा जो अवधारित वर्ष में, जल उत्पादन केन्द्र की 95 प्रतिशत उत्पादन क्षमता में से 90 प्रतिशत उत्पादन कर सकती है;

3.22 **''ई.आर.सी.''** से अभिप्रेत है, टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व जिससे किसी अनुज्ञप्तिधारी को वसूल करने की अनुमति दी जाती है;

3.23 ''**वर्तमान उत्पादन केन्द्र**'' से अभिप्रेत है, 01.04.2016 से पहले की किसी दिनांक से वाणिज्यिक संचालन में घोषित कोई उत्पादन केन्द्र;

3.24 ''**वर्तमान परियोजना**'' से अभिप्रेत है, 01.04.2016 से पहले की किसी दिनांक से वाणिज्यिक संचालन में घोषित कोई परियोजना;

3.25 ''**शुल्क**'' से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्वयं की ओर से अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार किसी अन्य के खाते में संगृहीत एक बारगी अथवा वार्षिक निश्चित भुगतान;

3.26 ''**अप्रत्याशित घटना**'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी घटना जो राज्यांतरिक उपयोगकर्ता के वश मे न हो, जिसका अनुमान ही न लगा सकते हो अथवा युक्तियुक्त सावधानी के उपरांत भी जिसका अनुमान न लगाया जा सके अथवा जिसका बचाव न किया जा सके और जो दोनो अभिकरणों के निष्पादन को सारभूत ढंग से प्रभावित करते हो जैसे, किन्तु वे निम्नांकित तक सीमित नहीं है–

(i) ईश्वरीय कृत्य, प्राकृतिक घटना जिसमें सम्मिलित है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प और महामारियां;

(ii) किसी शासन, चाहे घरेलू या विदेशी के कृत्य, जिसमें सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे घोषित या अघोषित युद्ध, विद्रोह, निर्वासन, निषेध;

(iii) दंगे अथवा सिविल नाफरमानी;

(iv) ग्रिड की विफलता जिसके लिए अभिकरणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता;

3.27 ''**सकल कैलोरिफिक मूल्य'' या ''जी.सी.बी**.'' ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में इससे अभिप्रेत है, एक किलोग्राम के ठोस ईंधन अथवा यथास्थिति एक लीटर द्रव ईंधन अथवा एक मानक घनमीटर गैसीय ईंधन की संपूर्ण ज्वलंनशीलता द्वारा उत्पादित उष्मा जो किलो कैलोरी में व्यक्त की जाती है;

3.28 ''**केन्द्र की सकल उष्मा दर या जी.एच.आर**'' से अभिप्रेत है, किसी तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र के जनरेटर टर्मिनल पर एक किलोवॉट घण्टे (KWH) विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने हेतु, किलो कैलोरी में व्यक्त आवश्यक तापीय ऊर्जा;

3.29 **''अनिश्चित पावर''** से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र के किसी एक इकाई अथवा उत्पादन केन्द्र के ब्लॉक द्वारा अपने वाणिज्यिक संचालन के पूर्व ग्रिड में डाली गई विद्युत;

3.30 ''**स्थापित क्षमता अथवा आई.सी.''** से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों की नाम पट्टिका पर दर्शित क्षमताओं का योग अथवा उत्पादन केन्द्र की क्षमता (उत्पादन टर्मिनल पर प्रदर्शित), जैसी कि आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जाये;

3.31 **''राज्यांतरिक क्रेता**'' से अभिप्रेत है, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी अथवा थोक उपभोक्ता अथवा केप्टिव उपयोगकर्ता जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली जिसमें ऐसी प्रणाली सम्मिलित है जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली के सांयुज्य से उपयोग में ली जाती है और जिसका अनुसूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होता है का उपयोग करते हुए, मुक्त उपयोग के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहा है;

3.32 **''राज्यांतरिक एकक**'' से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए अनुसूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य स्तर पर किया जाता है;

3.33 **''राज्यांतरिक बाजार संचालन प्रकार्य**'' मे सम्मिलित है– अनुसूचीकरण, प्रेषण, मापन, डाटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन और स्थिरीकरण, पारेषण हानि की संगणना और प्रभाजन, पूल खाते और कंजेशन प्रभार खाते का संचालन, अनुशंगिक सेवाएं प्रदान करना, सूचना प्रसार और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम अथवा आयोग के विनियमों और आदेशों द्वारा सौंपे गए हों;

3.34 **''राज्यांतरिक विक्रेता**'' से अभिप्रेत है, कोई उत्पादन संयंत्र जिसमें कोई केप्टिव उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी, राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली जिसमें ऐसी प्रणाली सम्मिलित है जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली के सांयुज्य से उपयोग में ली जाती है और जिसका अनुसूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होता है, का उपयोग करते हुए, मुक्त उपयोग के माध्यम से विद्युत प्रदाय कर रहा है;

3.35 **''राज्यांतरिक उपयोगकर्ता**'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युत संयंत्र 33 के.व्ही. या अधिक के वोल्टेज स्तर पर एक उत्पादन कंपनी के रूप में राज्य ग्रिड से संबद्ध है और जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (सी.टी.यू और एस.टी.यू. को छोड़कर) अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा केप्टिव उपयोगकर्ता सहित थोक उपभोक्ता;

3.36 **''दीर्घ अवधि''** से अभिप्रेत है, 12 वर्ष अथवा अधिक की अवधि;

3.37 **''अधिकतम सतत रेटिंग अथवा एम.सी.आर**'' ताप विद्युत केन्द्र की इकाई के संबंध में अभिप्रेत है, **''अधिकतम् लगातार रीडिंग''** या एम.सी.आर. से अभिप्रेत है, जनरेटर सिरों पर जल अथवा वाष्प की प्रविष्टि से (यदि प्रयोज्य हो) वह अधिकतम् लगातार उत्पादन, जो मानकीकृत मापदण्डों एवं 50 हर्ट ग्रिड आवृत्ति पर शोधित और विनिर्दिष्ट स्थानीय स्थिति पर उत्पादक द्वारा प्रत्याभूत हो;

3.38 **''मध्यम अवधि''** से अभिप्रेत है, 1 वर्ष से अधिक किन्तु 7 वर्ष तक की अवधि;

3.39 **''नवीन उत्पादन केन्द्र''** से अभिप्रेत है, ऐसा केन्द्र जिसने वाणिज्यिक संचालन की दिनांक 01.04.2016 को प्राप्त कर ली है अथवा उसके द्वारा ऐसी वाणिज्यिक संचालन की दिनांक इस तिथि के बाद प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है;

3.40 **''मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक**'' किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, तापीय उत्पादन केन्द्र हेतु विनियम 39 तथा जलीय उत्पादन केन्द्र हेतु विनियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक;

3.41 **''संचालन और संधारण व्यय या (ओ.& एम. व्यय)''** से अभिप्रेत है, परियोजना, अथवा उसके किसी भाग के संचालन और संधारण पर होने वाला व्यय और उसमें सम्मलित है श्रम शक्ति, सुधारों, अतिरिक्त वस्तुओं (स्पेयर), उपभोग्य, बीमा और ओवरहेड पर किये जाने वाला व्यय;

3.42 **''मूल परियोजना लागत''** से अभिप्रेत है, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा परियोजना के मूल स्वरूप के अंतर्गत आयोग द्वारा यथा–अनुमत, कटऑफ दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय;

3.43 **''संयंत्र उपलब्धता कारक''** किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में किसी अवधि के लिए अभिप्रेत है, प्रतिदिन घोषित क्षमताओं के उस अवधि विशेष के सभी दिनों का औसत, जो उस उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो, जिससे मानकीकृत सहायक विद्युत उपभोग घटा दिया जाये;

3.44 **''संयंत्र भार कारक (पी.एल.एफ.)''** के तापीय उत्पादन केन्द्र अथवा किसी इकाई हेतु किसी दी गई अवधि में अभिप्रेत है, उस अवधि के दौरान अधिसूचित उत्पादन के संगत कुल भेजी गई ऊर्जा जिसे उस अवधि के लिए स्थापित क्षमता के भेजे गए ऊर्जा प्रतिशत में अभिव्यक्त किया गया है और जिसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगाः–

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi/\{N \times IC \times (100-AUXn)\}\%$$

जहां

IC	=	उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता या मेगावाट में यूनिट,
SGI	=	अवधि के (i) वे कालखण्ड के लिए मेगावाट में अधिसूचित उत्पादन,
N	=	उस अविध के दौरान कालखण्डों की संख्या और
AUXN	=	सकल ऊर्जा उत्पादन के रूप में मानदण्डीय सहायक ऊर्जा की खपत

3.45 **''परियोजना''** से अभिप्रेत है, यथास्थिति कोई उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली, और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, इसमें सम्मलित है उत्पादन सुविधाओं के समस्त घटक, जैसे बांध, जलागम, संचालन प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और योजना की उत्पादन ईकाईयां, जो विद्युत उत्पादन हेतु प्रर्युक्त की गई हों;

3.46 **''पम्पकृत भण्डारण वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र''** से अभिप्रेत है, ऐसा जलीय केन्द्र जो निम्नतर एलीवेशन वाले जल संग्रह से उच्चतर एलीवेशन वाले जल संग्रह को पम्प करके जल ऊर्जा के रूप में संगृहीत ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करता है;

3.47 **''रेटेड वोल्टेज''** से अभिप्रेत है, उत्पादनकर्ता का वह रूपांकित वोल्टेज, जिस पर पारेषण प्रणाली संचालित करने हेतु रूपांकित की गई है और उसमें ऐसा निम्नतर वोल्टेज सम्मिलित है, जिस पर कोई पारेषण लाईन चार्ज की जाती है अथवा हितग्राही के परामर्श से कुछ समय के लिए चार्ज की जाती है;

3.48 **''विनियमित व्यापार''** से अभिप्रेत है, ऐसे कृत्य और क्रियाकलाप जो आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अधिनियम के अधीन किसी मान लिए गए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा और अधिनियम के प्रावधानों एवं आयोग द्वारा अधिसूचित, विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा किए जाना अपेक्षित हों;

3.49 **''फुटकर आपूर्ति का व्यापार''** से अभिप्रेत है, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने प्रदाय क्षेत्र के भीतर, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय का व्यापार;

3.50 **''फुटकर आपूर्ति टैरिफ''** से अभिप्रेत है, वह दर जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रभारित की जाती है और जिसमें व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति की सेवाओं के लिए प्रभार भी सम्मिलित है;

3.51 **''रन ऑफ रिवर विद्युत केन्द्र''** से अभिप्रेत है, ऐसा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें अप स्ट्रीम पोण्डेज (प्रवाहोपरि जलाशय) नहीं हो;

3.52 **''पोण्डेज सहित रन ऑफ रिवर विद्युत उत्पादन केन्द्र''** से अभिप्रेत है, विद्युत की मांग के दैनंदिन उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त पोण्डेज (जल संग्रह) वाला जल विद्युत उत्पादन केन्द्र;

3.53 **''अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन दिनांक'' अथवा ''एस.सी.ओ.डी.''** से अभिप्रेत है, वह दिनांक (दिनांकें) जिसको कोई उत्पादन केन्द्र या उत्पादन इकाई या उसका कोई ब्लाक या पारेषण प्रणाली या निवेश अनुमोदन या यथा स्थिति विद्युत क्रय अनुबंध में या पारेषण सेवा अनुबंध में यथा–सहमत में अंकित उसका कोई तत्व, जो भी पहले हो, वाणिज्यिक संचालन में आता है;

3.54 **''अनुसूचित ऊर्जा''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक दिवस की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्रिड में डाली जाने वाली अधिसूचित ऊर्जा की मात्रा;

3.55 **''अधिसूचित उत्पादन'' अथवा ''एस.जी.''** से अभिप्रेत है, किसी समय अथवा किसी अवधि विशेष या समयखण्ड में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई मेगावाट अथवा MWh एक्सबस में व्यक्त उत्पादन की अनुसूची;

3.56 **''स्कीम''** से अभिप्रेत है, वे सुविधाएं और उनसे सहबद्ध उपकरण जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित है और जिनमें निम्नांकित सम्मिलित है, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है :–

(क) कम्प्यूटर प्रणालियां, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,

(ख) सहायक विद्युत प्रदाय प्रणाली जो अबाधित विद्युत प्रदाय, डीजल जनरेटिंग सेट और डी.सी. विद्युत प्रणाली से मिलकर बनती है,

(ग) सामान्य टेलीफोन, फैक्स और अन्य ऑफलाईन संचार प्रणाली,

(घ) अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे वातानुकूलन, अग्निशमन और भवनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण;

(ड.) बेहतर प्रणाली संचालन के लिए कोई नवाचारी स्कीमें, शोध और विकास परियोजनाएं तथा पायलेट परियोजनाएं, जैसे सिन्क्रो फेजर्स, प्रणाली सुरक्षा स्कीम,

(च) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए बैकअप नियंत्रण केन्द्र,

(ज) निगरानी कैमरा प्रणाली, और

(झ) सायबर सुरक्षा प्रणाली

3.57 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संग्रहनीय आवर्ती और मासिक भुगतान;

3.58 **''आरंभ दिनांक'' अथवा ''शून्य दिनांक''** से अभिप्रेत है, निवेश स्वीकृति में उल्लिखित परियोजना लागू करने के लिए प्रारंभ की दिनांक और जहां कोई ऐसी दिनांक उल्लिखित न हो वहां निवेश अनुमोदन की दिनांक को प्रारंभ दिनांक अथवा शून्य दिनांक माना जायेगा;

3.59 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' अथवा ''एस.एल.डी.सी.''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र;

3.60 **''राज्य पूल खाता''** से अभिप्रेत है, व्यपवर्तन तथा या रिएक्टिव ऊर्जा विनिमयो (रिएक्टिव ऊर्जा खाता) या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय समय पर विनियमों और आयोग के निर्देशों के अनुसार संचालित किए जा सकने वाले कोई अन्य खातो से संबंधित भुगतान हेतु राज्य खाते;

3.61 **''राज्य प्रणाली संचालन प्रकार्य''** में सम्मिलित है ग्रिड संचालनों की निगरानी राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण और प्रेषण के लिए समसामयिक (रियल टाईम) संचालन, ग्रिड व्यवहारों के बाद प्रणाली को फिर से सुचारू बनाना, प्रणाली संचालन से संबंधित डाटा उपलब्ध कराना, कंजेशन प्रबंधन, ब्लैक स्टार्ट समन्वय और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम और/अथवा आयोग के विनियमों और/अथवा आदेशों द्वारा सौंपे जाए;

3.62 **''भण्डारण वाले विद्युत केन्द्र''** से अभिप्रेत है, वृहद जल भण्डारण क्षमता सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जो मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन में फेरबदल करने में सक्षम हो;

3.63 **''पारेषण सेवा अनुबंध''** से अभिप्रेत है, वह करार, संविदा, समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग), या कोई ऐसा दस्तावेज जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/ राज्य पारेषण उपक्रम और पारेषण प्रणाली के संचालन चरण हेतु हितग्राही के मध्य निष्पादित किया गया हो;

3.64 **''पारेषण तंत्र''** से अभिप्रेत है, संबंधित उपकेन्द्रों सहित या रहित पारेषण लाईन अथवा लाईनों का समूह और उसमें ऐसे संबद्ध यंत्र सम्मिलित है, जिनका विद्युत पारेषण के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो;

3.65 **''पूर्व परीक्षण'' अथवा ''परीक्षण संचालन''** किसी उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली अथवा इनके किसी तत्व के संबंध में केन्द्रीय आयोग के विनियमों और इसके संशोधनों/इनकी अधिनियमितियों मे विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगे;

3.66 **''इकाई''** ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, स्टीम जनरेटर, टरबाईन जनरेटर और सहायक उपस्कर तथा किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, टरबाईन जनरेटर और उसके सहायक उपस्कर;

3.67 **''उपयोगी जीवन काल''** किसी उत्पादन केन्द्र की इकाई, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के संबंध में सीओडी के पश्चात की निम्नानुसार अवधि –

(क)	कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	25 वर्ष
(ख)	ए सी और डी सी उप केन्द्र	25 वर्ष
(ग)	जल विद्युत उत्पादन केन्द्र	35 वर्ष
(घ)	पारेषण और वितरण लाईनें	35 वर्ष

3.68 **''व्हीलिंग''** से अभिप्रेत है, ऐसा संचालन जहां यथास्थिति किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाएं, अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित किए जाने वाले प्रभारों के भुगतान का विद्युत के संवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाती है;

3.69 **''व्हीलिंग व्यापार''** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के संवहन हेतु वितरण तंत्र के संचालन और संधारण का व्यापार;

3.70 **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष ,

''चालू वर्ष '' से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसके दौरान वार्षिक लेखों का विवरण या टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है,

''आगामी वर्ष '' से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के तुरन्त पश्चात् आने वाला वर्ष; और

''पूर्व वर्ष '' से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो चालू वर्ष के ठीक पहले रहा हो ।

इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित रहें, तथापि अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम और अन्य आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में दिया गया है, परन्तु जहां किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संदर्भ में किया गया हो, वहां उस विशिष्ट संदर्भ में प्रयोज्य अर्थ अभिभावी होगा और ऊपर दी गई जेनरिक (मूल) परिभाषा प्रयोज्य न हो सकेगी ।

अध्याय–2
सामान्य सिद्धान्त

4 बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखाः

4.1 आयोग, इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनियम की धारा–61, और 62 में राज्य के उत्पादन केन्द्रो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ के निर्धारण और अधिनियम की धारा–32 (3) में राज्य भार वितरण केन्द्र, के लिए शुल्क और प्रभारों का निर्धारण करने में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के सिद्धांतो से मार्गदर्शित होता है;

परन्तु यह कि आयोग या तो स्वतः आधार पर अथवा किसी उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे प्रस्तुत आवेदन पर वैसी अवधि के लिए जैसी कि ऐसी छूट प्रदान करने के आदेश में निहित हो, बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अधीन टैरिफ के निर्धारण में छूट दे सकेगा और ऐसे प्रकरण में टैरिफ का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण की शर्तें और दशाएं) विनियम, 2006 और उसमें हुए संशोधनों के अनुरूप किया जाएगा।

4.2 ऐसी बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्हीलिंग व्यापार और फुटकर प्रदाय व्यापार हेतु टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व और सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होगी :–

(क) नियंत्रण अवधि के प्रारंभ से पूर्व नियंत्रण अवधि से अन्यून किसी अवधि के लिए पूंजीगत निवेश योजना का अनुमोदन;

(ख) वास्तविकीकरण (ट्रूइंग अप) की प्रणाली;

(ग) नियंत्रण से परे मदों के संबंध में निकासी (Pass Through) की प्रणाली;

(घ) नियंत्रण योग्य विषयों के संबंध में लाभों और हानियों को साझा करने की प्रणाली;

(ङ) नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का निर्धारण।

4.3 मध्यावधि समीक्षा :

जहां किसी उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व और सकल राजस्व आवश्यकता बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अंतर्गत आती है, वहां यथास्थिति, ऐसे उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियम के अनुसरण में नियंत्रण अवधि के दौरान मध्यावधि समीक्षा के अंतर्गत आएंगे।

4.3.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम–5 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति आयोग को ऐसे प्ररूप में जानकारी प्रस्तुत करेंगे जैसी आयोग द्वारा विहित की जाए और साथ में लेंखाकन विवरण लेखा पुस्तिका के सारांश और ऐसे अन्य विवरण देंगे जिनकी आयोग को अनुमोदित सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ तथा प्रभारों से अनुमानित राजस्व के पूर्वानुमान को देखते हुए किन्हीं परिवर्तनों और उसकी सीमा का मूल्यांकन करने के लिए वांछित हो;

4.3.2 मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र, उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वास्तविक निष्पादन की तुलना, टैरिफ और प्रभारों से उनकी अनुमानित राजस्व और सकल राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान से करना रहेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) आवेदक के पिछले दो वित्तीय वर्षो के वास्तविक निष्पादन से, ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना करनाः और

(ख) मध्यावधि समीक्षा के समय, यदि कोई हो तो आधिक्य/घाटे की राशि की रखरखाव लागत।

4.3.3 विनियम–11 के अधीन उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु आयोग द्वारा निर्धारित दक्षता मानदण्डों के लिए आयोग मध्यावधि समीक्षा के एक भाग के रूप में आवेदक के निष्पादन की उसके लिए अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना एक विस्तृत समीक्षा करेगा;

4.3.4 आयोग द्वारा वास्तविक पूंजीगत व्यय की तुलना में नियंत्रण अवधि के प्रथम दो वित्तीय वर्षो हेतु अनुमोदित लक्ष्यों और नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए प्रक्षेपों (प्रोजेक्शन) का विस्तृत विश्लेषण कराएगा;

4.3.5 उपर्युक्त विनियम 4.3.3 के अन्तर्गत समीक्षा पूरी हो जाने के बाद आयोग, निम्नलिखित विनियम–11 में विनिर्दिष्ट परिवर्तनीयों के लिए उन कारको जो आवेदक के नियंत्रण में थे (नियंत्रणीय कारक) या जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे (अनियंत्रणीय कारक) हेतु निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनो या संभावित परिवर्तनो को चिन्हित करेगा;

4.3.6 परन्तु निम्नलिखित विनियम–11 में विनिर्दिष्ट परिवर्तनियों को छोड़कर निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनों या संभावित परिवर्तनो की समीक्षा नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें पूर्णतः नियंत्रणीय कारको के रूप में चिन्हित किया जाएगा;

4.3.7 तथापि परन्तु जहां आवेदक या अन्य हितबद्ध या प्रभावित पक्ष यह विश्वास करता है कि नीचे विनियम–11 में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये किसी परिवर्तनीय में अनियंत्रणीय कारकों की वजह से किसी वित्तीय वर्ष के निष्पादन में कोई तात्विक परिवर्तन या संभावित परिवर्तन है तो ऐसा आवेदक या हितबद्ध या प्रभावित पक्ष आयोग को ऐसे परिवर्तनीय का समावेश करने के लिए आवेदन दे सकेगा जो ऐसे वित्तीय वर्ष हेतु उपर्युक्त विनियम 4.3.3 के अंतर्गत समीक्षा में आयोग के विवेकाधीन होगा।

5. बहुवर्षीय टैरिफ के अनुरूप प्रस्तुतिकरणः

5.1 बहुवर्षीय टैरिफ के अंतर्गत उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुति (फाइलिंग) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयावधि में किया जाएगा और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु सिद्धांतों के अनुसरण में, वैसे प्रारूप में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

5.2 उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम और राज्य भार प्रेषण केन्द्र/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 5.8 (क) (i) के अनुसरण में बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन 30 नवंबर 2015 तक दाखिल किये जायेंगे। परवर्ती वर्ष (Ensuing Year) के लिए विनियम 5.8(ख)(i) के अनुसरण में वार्षिक याचिका चालू वर्ष की 30 नवंबर तक दाखिल की जायेगी।

5.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ का आवेदन विनियम 5.8 (क) (ii) के अनुसार 30 नवम्बर, 2015 तक दाखिल किया जाएगा। परवर्ती वर्ष के लिए वार्षिक याचिका, विनियम 5.8 (ख) (ii) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवम्बर तक दाखिल की जाएगी।

5.4 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो 1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2021 की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ संरचना के अंतर्गत आते है वे मध्यावधि समीक्षा के लिए अपना आवेदन आयोग को 30 जून 2018 तक देंगे। मध्यावधि समीक्षा संपन्न करने के लिए आयोग स्वतः भी कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

5.5 आवेदक द्वारा आयोग के पूर्व आदेशों में जारी किए गए निर्देशों के पालन के संबंध में एक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

5.6 किसी आवेदक द्वारा समस्त प्रस्तुति (फाईलिंग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004, इसके संशोधनों सहित प्रावधानों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप भी होंगे। बहुवर्षीय टैरिफ का प्रस्तुति ऐसे स्वरूप और ऐसी पद्धति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

5.7 टैरिफ के निर्धारण अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को जारी रखने हेतु, प्रत्येक आवेदन के साथ तत्समय प्रचलित, समय–समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में वर्णित शुल्क लगाया जाएगा। आयोग आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और आवेदक ऐसे स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त जानकारी को, आयोग द्वारा दी गई तिथि के भीतर उपलब्ध कराएगा।

5.8 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुति निम्नानुसार होगी :—

(क) बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में निम्नांकित सम्मिलित होंगे :—

(i) उत्पादन, पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के लिए —

1. वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए वास्तविकीकरण; (true-up)
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ और शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन;

(ii) वितरण, व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति व्यापार के लिए —

1. वित्तीय वर्ष 2014—15 के लिए वास्तविकीकरण;
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. वर्तमान शुल्कों और प्रभारों से राजस्व और नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु संभावित राजस्व रिक्तता (प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गेप);
4. नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु फुटकर टैरिफ प्रस्ताव का आवेदन।

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पश्चात् और उससे आगे वार्षिक याचिका में निम्नांकित सम्मिलित किए जाएंगे :—

(i) राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविकीकरण याचिका के साथ—साथ लघु अवधि मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं के लिए पारेषण प्रभारों के निर्धारण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वास्तविकीकरण याचिका के साथ—साथ वर्ष वार पूंजीगत व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे जिसमें, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय वित्तीय स्रोत, संचालन और संधारण व्यय आदि सम्मिलित किए जाएंगे। आयोग द्वारा परिपक्व जांच के उपरांत किसी वर्ष के दौरान वसूले गए शुल्कों और प्रभारों का वास्तविकीकरण किया जाएगा और अगले वर्ष हेतु शुल्कों और प्रभारों के निर्धारण पर विचार किया जाएगा।

जहां वास्तविकीकरण के उपरांत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वसूले गये शुल्क और प्रभारों में आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित राशि से यथास्थिति, आधिक्य/कमी पायी जाती है वहां उसे अगले वर्ष के लिए शुल्क और प्रभारों को निर्धारित करते समय अथवा आयोग द्वारा यथानिर्णीत ढंग से समायोजित कर दिया जाएगा।

(ii) वितरण व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए —

1. पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) हेतु वास्तविकीकरण;
2. आगामी वर्ष के लिए पुनरीक्षित विद्युत क्रय की मात्रा/लागत (यदि कोई हो) विवरण सहित;
3. वर्तमान टैरिफ और प्रभारों से राजस्व और आगामी वर्ष के लिए संभावित राजस्व;
4. आगामी वर्ष हेतु राजस्व आवश्यकता के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन, खुदरा शुल्क प्रस्ताव सहित।

(ग) उत्पादन कंपनी अपनी सभी प्रस्तुतियां उत्पादन केन्द्रवार करेंगी, सिवाय ऐसे वर्षों के वास्तविकीकरण हेतु जिसके लिए टैरिफ आदेश में ही कंपनी हेतु एक भाग औसत उत्पादन टैरिफ दिया गया है।

(घ) किसी अवधि के लिए वास्तविकीकरण उस विनियम के प्रावधानों से शासित होगा जिसके अधीन उस वर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया था।

(ङ) आयोग आवेदक की पूर्व वर्षों के लिए प्रस्तुत वास्तविकीकरण याचिका पर भी विचार करेगा, जहां ऐसा वास्तविकीकरण प्राविधिक लेखों के आधार पर किया गया है।

5.9 कोई उत्पादन कंपनी यथास्थिति समग्र रूप से किसी उत्पादन केन्द्र, या उसकी किसी इकाई अथवा प्रक्रम की संभाव्य वाणिज्यिक संचालन दिनांक से अग्रिम रूप में प्राविधिक टैरिफ निर्धारण हेतु, याचिका लगाने की दिनांक तक या याचिका लगाने की दिनांक से पूर्व हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा विविध रूप से अंकेक्षित और प्रमाणीकृत हो के आधार पर याचिका लगा सकेगी और ऐसा प्राविधिक टैरिफ यथास्थिति, ऐसे उत्पादन केन्द्र या प्रक्रम या इकाई के वाणिज्यिक संचालन दिनांक से प्रभारित किया जाएगा।

5.10 कोई उत्पादन कंपनी इन विनियमों के अनुसरण में उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन के दिनांक तक, वैधानिक अंकेक्षको द्वारा वार्षिक अंकेक्षित लेखों के आधार पर विहित रूप से प्रमाणित वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु कोई नवीन याचिका प्रस्तुत कर सकेगी।

5.11 प्राविधिक टैरिफ और आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम टैरिफ और जो उत्पादन कंपनी के पेटे ना हो में अंतर को आगामी वर्ष के लिए अंतिम टैरिफ निर्धारण के समय आयोग द्वारा यथा निर्देशित, समायोजित किया जा सकेगा।

6. याचिका का निराकरणः

6.1 आयोग, आवेदकों द्वारा बहुवर्षीय शुल्क की प्रस्तुतियों पर इन विनियमों और समय– समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियम, 2009 के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

6.2 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किये गये टैरिफ आवेदन की प्रतिलिपियां आयोग के कार्यालय में और आवेदक के ऐसे कार्यालय में, जैसा कि आयोग निर्देशित करे, विक्रय हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दस्तावेज आवेदको की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किए जा सकने वाले प्ररूप में रखे जाएंगे, ताकि वे सभी भागीदारों की सुगम पहुंच में रहे।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क और प्रभारों हेतु किए गए आवेदन के प्रकरण में, याचिकाकर्ता याचिका के पंजीयन से एक सप्ताह के भीतर याचिका की प्रतिलिपि राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रत्येक राज्यांतरिक एकक पर तामील कराई जाएगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका के पंजीकरण के एक सप्ताह के भीतर अपनी वेबसाईट पर सम्पूर्ण याचिका अपलोड की जाएगी और आयोग द्वारा उसका निराकरण होने तक वेबसाईट पर बनाए रखा जाएगा।

परन्तु याचिका के पंजीयन से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह सूचित करेगा कि क्या राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रत्येक राज्यांतरिक एकक पर तामील करा दी गई है और क्या ऐसी याचिका अपनी वेबसाईट पर, उस वेबसाईट–पते सहित जहां पर उसे लोड किया गया है, अपलोड कर दी गयी है।

6.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित ए.आर.आर. और ई.आर.सी., विद्यमान एवं प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जावेगी और प्रस्तावों पर निर्णय देने के पहले आयोग ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सुन सकेगा।

6.4 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण और वितरण आवेदक, आयोग द्वारा प्रकाशन के लिए अनुमोदित रूप में प्रस्तावों का सार, आवेदन की प्रमुख ऐसी विशेषताओं सहित जो विभिन्न उपभोक्ताओं के हित में हों (पर प्रकाश डालते हुए) न्यूनतम 3 ऐसे समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में तथा आवेदक के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। भागीदारों से लिखित सुझाव/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 21 दिवसों का समय प्रदान किया जाएगा।

याचिका के पंजीयन उपरांत 7 दिवस के भीतर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग के निर्देशों पर, ऐसी याचिका की सूचना का प्रकाशन न्यूनतम 2 दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें 1 अंग्रेजी भाषा और 1 हिन्दी भाषा का होगा, जिनका वितरण उन स्थानों पर होता हो जहां राज्यांतरिक एकक स्थित हैं, आयोग द्वारा अनुमोदित प्ररूपों में किया जाएगा।

6.5 आवेदक द्वारा अनुमोदित शुल्कों सहित, आदेश का सारांश न्यूनतम 3 दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में तथा आपूर्ति के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। ऐसा शुल्क उसी दिनांक से प्रभावशील होगा, जैसा आयोग द्वारा सुसंगत टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

6.6 आयोग आदेश करने के 7 दिवस के भीतर उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सम्यक राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादक कंपनी/ अनुज्ञप्तिधारी/हितग्राहियों को प्रेषित करेगा।

7. पूंजी निवेष योजना –

7.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के लिए 31 अक्टूबर, 2015 तक एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे। ऐसी पूंजी निवेश योजना में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विवरण सहित सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि को समाविष्ट किया जाएगा।

7.2 पूँजी निवेश की योजना, नवीन उत्पादन परियोजनाओं या पारेषण/वितरण स्कीमों (लाइनों उपकेन्द्रो, बे(bay) आदि के लिए) या प्रणाली संचालन की अतिरिक्त क्षमता बनाने/जीवनावधि पूर्ण हो जाने पर मौजूदा क्षमताओं का पुनर्नवीनीकरण अथवा वृद्धि, अथवा विधि में परिवर्तन के कारण कार्य की आवश्यकता होने, या मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्य निष्पादन में देरी होने या सक्षमता सुधार या ऐसा कार्य जो प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक हो, के बारे में हो सकेगी।

(क) पूंजी निवेश योजना में, वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को नियंत्रण अवधि में विस्तारित करते हुए, और नवीन परियोजनाओं (औचित्य सहित) जो नियंत्रण अवधि में प्रारंभ होगी, किन्तु इस दौरान अथवा नियंत्रण अवधि से आगे पूर्ण होगी, पृथकतः दर्शाए जाएंगे। पूंजी निवेश योजना में स्कीम का विवरण, कार्य का क्षेत्राधिकार, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजी संरचना और लागत लाभ विश्लेषण (जहां प्रयोज्य हो) का समावेश किया जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्तः

(i) उत्पादन कम्पनी नवीन परियोजनाओं के संबंध में विद्युत विक्रय अनुबंध प्रस्तुत करेगी। जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की स्कीमों तथा सक्षमता वृद्धि के आशय से

बनाई गई स्कीमों में, लागत लाभ विश्लेषण और संभावित निष्पादन लक्ष्यों को सम्मिलित करना आवश्यक होगा;

(ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत निष्क्रमण योजना और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्यगत भार पूर्वानुमान के संदर्भ में प्रणाली के सुदृढ़ीकरण योजना को प्रस्तुत किया जाएगा;

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तृत विक्रय/मांग संबंधी पूर्वानुमान, भार पूर्वानुमान, विद्युत अधिप्राप्ति योजना (प्रोक्योरमेण्ट), प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय, मीटरिंग योजना, उपभोक्ता सेवाओं और क्षति कम करने संबंधी योजना प्रस्तुत की जाएंगी।

7.3 आयोग द्वारा पूंजी निवेश योजना की समीक्षा की जाएगी और सम्यक् जांच एवं समस्त भागीदारों को अपने दृष्टिकोण/सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद तथा प्रस्तावित योजना पर सुनवाई करने एवं प्राप्त आपत्तियों/सुझावों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के उपरांत उसे अनुमोदित किया जाएगा ।

7.4 टैरिफ आदेश जारी करने से पूर्व आयोग, पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन करेगा और टैरिफ आदेश में इस प्रकार के अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के प्रभाव को विचार में लेगा ।

7.5 प्राथमिकताओं और तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुमोदित पूंजी निवेश योजना में परिवर्तन हेतु आयोग से अनुरोध किया जा सकेगा ।

7.6 ऐसे प्रकरणों में, जहां जीवन अथवा सम्पत्ति के संकट को दूर करने के लिए तात्कालिक कार्यवाहियों की आवश्यकता हो, वहां तात्कालिकता प्रकृति की पूर्व सूचना के अधीन प्रस्तावित कार्य और लागत अनुमान के संबंध में यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा निचय (ब्रीफ) प्रस्तुत करके, आयोग के अनुमोदन हेतु विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करके कार्योपरान्त अनुमोदन लेने के अध्यधीन रहते हुए, अत्यावश्यक कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

7.7 प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक आवेदक अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें योजनावार उपलब्धियां, विचलन, पुनरीक्षित अनुसूची और विचलनों के कारण स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे ।

8. **कतिपय सचलों(वेरियेबल्स) के संबंध में विषिष्ट ट्रेजेक्टरी** :

आयोग द्वारा ऐसी मदों(आईटम्स) के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जो नियंत्रणीय हो। साथ–साथ विशिष्ट सचलों हेतु आयोग द्वारा ट्रेजेक्टरी निर्दिष्ट की जा सकती है जहां पुरस्कारों और गैर पुरस्कारों के माध्यम से आवेदक के कार्य निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता हो ।

9. **टैरिफ का निर्धारण** :

9.1 इन विनियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी सभी समयों में, आयोग को यह प्राधिकार होगा कि या तो स्वप्रेरणा से अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर शर्तों और दशाओं का समावेश करते हुए किसी उत्पादन कंपनी अथवा राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के टैरिफ का निर्धारण करे।

9.2 उत्पादन केन्द्र के संबंध में टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण उत्पादन केन्द्र अथवा किसी चरण या उत्पादन केन्द्र के खण्ड के लिए निर्धारित किया जा सकेगा, और पारेषण प्रणाली हेतु टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली अथवा पारेषण प्रणाली के किसी भाग हेतु किया जा सकेगा। सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के लिए आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु फुटकर प्रदाय टैरिफ, व्हीलिंग चार्ज और विविध चार्ज भी निर्धारित किए जा सकेंगे ।

9.3 आयोग निम्नलिखित हेतु टैरिफ और शुल्क तथा प्रभार निर्धारित करेगा :

(क) इन विनियमों के अध्याय–4 के अनुसरण में, विद्युत का उत्पादन;

(ख) इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसरण में, विद्युत का पारेषण;

(ग) इन विनियमों के अध्याय–6 के अनुसरण में, वितरण व्हीलिंग व्यापार; व्हीलिंग बिजनेस

(घ) इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसरण में, फुटकर प्रदाय व्यापार (रीटेल सप्लाई बिजनेस)। और

(ड.) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अध्याय–8 के अनुसरण में।

10. वास्तविकीकरण (True-up)

10.1 जहां किसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभारों से सकल राजस्व आवश्यकता और अनुमानित राजस्व किसी बहुवर्षीय शुल्क संरचना के अंतर्गत आते हों, वहां यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उस नियंत्रण अवधि के दौरान इन विनियमों के अनुसरण में व्ययों और राजस्व के वास्तविकीकरण के अध्यधीन होंगे ।

10.2 उत्पादन कंपनी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर नियंत्रण अवधि के दौरान प्रतिवर्ष अपने उत्पादन केन्द्रों के पूर्व वर्ष/वर्षों का वास्तविकीकरण हेतु और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) में राजस्व के अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगी। राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूर्व वर्ष के वास्तविकीकरण और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) के राजस्व अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूर्व वर्ष के वास्तविकीकरण और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) के राजस्व अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व वर्ष (वर्षों) के वास्तविकीकरण और आगामी वर्ष के लिए शुल्क तथा प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आयोग को जानकारी ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए और साथ में अंकेक्षक द्वारा विहित रूप से प्रमाणित अंकेक्षित लेखे, लेखा पुस्तकों का सारांश और ऐसे अन्य विवरण, जो आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता पूर्वानुमान तथा शुल्कों और प्रभारों से संभावित राजस्व में किसी वित्तीय निष्पादन के विचलन (वेरिएशन) के कारणों और सीमा का मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक हो, प्रस्तुत किए जाएंगे।

10.3 ऐसे प्रकरण में जहां अंकक्षित लेखे उपलब्ध नहीं है, प्रावधिक वास्तविकीकरण (प्रोविजनल ट्रू अप) का कार्य अनअंकेक्षित/प्रावधिक लेखे के आधार पर किया जाएगा और जैसे ही अंकेक्षित लेखे उपलब्ध हो जाते हैं, अग्रेत्तर अंतिम वास्तविकीकरण के अधीन रहेगा।

10.4 वास्तविकीकरण के क्षेत्र में उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्य निष्पादन की तुलना सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं प्रभारों से संभावित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से सम्मिलित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :—

(क) आवेदक के पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में अंकेक्षित कार्य निष्पादन की ऐसे पूर्व वित्तीय वर्षों हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान से तुलना, जो अनियंत्रणीय कारकों के प्रभाव की दरगुजर (पास थ्रू) को सम्मिलित करते हुए परिपक्वता जांच (प्रूडेंट चेक) के अधीन रहेगी;

(ख) समय—समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;

(ग) अन्य सुसंगत विवरण, यदि कोई हों ।

10.5 वास्तविकीकरणों के शुद्ध वित्तीय प्रभावों को उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, विनियम 12 और विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार अवमूल्यन, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे कारकों को विचार में लेते हुए, आयोग द्वारा गणना में लिया जाएगा। शुद्ध वित्तीय प्रभाव को वार्षिक आधार पर पारित किया जाएगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में जहां वास्तविकीकरण के उपरांत वसूल किए गए शुल्क और प्रभारों की राशि आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदित राशि से कम/अधिक हो जाती है वहां यथास्थिति इस प्रकार वसूली गई अधिक राशि अथवा वसूले हेतु बकाया राशि अगले वर्ष हेतु शुल्क और प्रभारों के निर्धारण के समय अथवा जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जाए, समायोजित किए जाएंगे।

10.6 इस नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) का वास्तविकीकरण प्रयोज्य विनियमों/आदेशों (जिसके अधीन टैरिफ आदेश पारित किया गया है) से शासित होगा ।

11. नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक :

11.1 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''अनियंत्रणीय कारकों'' में निम्नांकित कारक सम्मिलित हैं, तथापि उन तक सीमित नहीं है, जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे, और जहां आवेदक द्वारा उनका सामना नहीं किया जा सकता था :—

(क) दैवीय घटनाएं;

(ख) विधि में परिवर्तन;

(ग) न्यायिक प्रोद्घोषणाएं;

(घ) ईंधन की कीमतें अर्थात कोयला, तेल और समस्त प्राथमिक—द्वितीयक ईंधन;

(ङ) मिश्रविक्रय (Sale mix) और विक्रय की मात्रा;

(च) विद्युत क्रय का मूल्य;

(छ) अवमूल्यन के कारण लागतें;

(ज) कर एवं वैधानिक लेवी ।

11.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति **'नियंत्रणीय कारक'** में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) किसी पूंजीगत व्यय परियोजना के क्रियान्वयन में लागत बढ़ जाने के कारण पूंजीकरण, जो कि ऐसी परियोजना के क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक लेवियों में परिवर्तन

अथवा यथास्थिति उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे परिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ है;

(ख) एस.एच.आर., सहायक खपत, आदि उत्पादन–निष्पादन मानदण्ड;

(ग) विनियम 71 के अनुसरण में परिगणित विद्युत हानियां;

(घ) संचालन और संधारण व्यय;

(ङ) जहां छूट दी गयी है, उसे छोड़कर निष्पादन मानदण्डों के विनियमों में यथा निर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति करने में विफलता;

(च) वायर उपलब्धता और आपूर्ति उपलब्धता में विचलन।

12 अनियंत्रणीय कारकों से हुई बढ़त या हानियों के पास थ्रू हेतु प्रणाली;

उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अवधि में अनियंत्रणीय मदों (टैरिफ आदेश के अनुसार) के कारण हुए सकल लाभों/हानियों को हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को अगले वार्षिक राजस्व आवश्यकता अथवा इन विनियमों अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पास थ्रू (निकासीकृत) कर दिया जाएगा।

13. नियंत्रणीय कारकों के कारण हुए लाभों या हानियों के बंटवारे हेतु प्रणाली :

13.1 टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों में बेहतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल लाभों, विनियम–71 के अनुसरण में संगणित विद्युत हानियों को छोड़कर, को हितग्राही/उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुंचाया जाएगा और शेष उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जैसी भी स्थिति हो, 50:50 के अनुपात में अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रूप से रखा जाएगा।

परन्तु टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, टैरिफ आदेश में विद्युत हानियों से संबंधित लक्ष्यों को लेकर बेहतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल लाभों, को विनियम–71 के अनुसरण में उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुंचाया जाएगा और शेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, 2:1 के अनुपात में, अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रूप से रखा जाएगा।

[1]{परंतु यह कि लाभ एवं हानि की गणना संचालन एवं संधारण खर्च में करते समय कर्मचारी लागत को विभक्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :–

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ो में)
1	कर्मचारी लागत	65.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00

वास्तविकीकरण के समय परिदृष्य – I

क्रमांक	विवरण	वर्षिक राजस्व आवष्यकता	वास्तविक व्यय	लाभ/(हानि)	वर्षिक राजस्व आवष्यकता वास्तविकीकरण के उपरांत
1	कर्मचारी लागत	65.00	66.00		66.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00	22.00	3.00	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00	12.00	(2.00)	10.00

4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00	100.00	1.00	101.00
5	जोड़े लाभ / (हानि) का अंष (50:50)				(0.50)
6	कुल संचालन एवं संधारण व्यय अनुमति योग्य				100.50

वास्तविकीकरण के समय परिदृष्य – II

क्रमांक	विवरण	वर्षिक राजस्व आवष्यकता	वास्तविक व्यय	लाभ / (हानि)	वर्षिक राजस्व आवष्यकता वास्तविकीकरण के उपरांत
1	कर्मचारी लागत	65.00	63.00		63.00
2	मरम्मत एवं संधारण	25.00	24.00	1.00	25.00
3	प्रशासनिक व्यय	10.00	13.00	(3.00)	10.00
4	कुल संचालन एवं संधारण व्यय	100.00	100.00	(2.00)	98.00
5	जोड़े लाभ / (हानि) का अंष (50:50)				1.00
6	कुल संचालन एवं संधारण व्यय अनुमति योग्य				99.00

और यह कि नये उत्पादन संयंत्र जिसके संचालन एवं संधारण मूल्य धारा 38.5 1(ब) में निर्दिष्ट मापदंडो के अनुसार निर्धारण की जाती है, उनके सत्यापन कर्मचारी लागत के अनुसार किया जाये तथापि वेतन पुनरीक्षण का असर एवं कर्मचारियों को देय बकाया राषि (यदि हो) का भार उस नियंत्रण अवधि मे मान्य किया जावे। }[1]

13.2 टैरिफ आदेश में दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में हुई सकल हानियों को बांटने की प्रणाली के अनुसार इन्हें हितग्राही / उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुचाया जाएगा और शेष उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति 50:50 के अनुपात में अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अपने पास रखा जाएगा।

14. टैरिफ आदेश :

आवेदक द्वारा किए गए दाखिलों के आधार पर, आयोग आवेदन को ऐसे रूपांतरणों और / अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उचित और सम्यक् प्रतीत हों स्वीकृत कर सकेगा और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 के अनुसार आवेदन प्राप्ती के 120 दिवसों के भीतर आदेश पारित कर सकेगा।

15. टैरिफ आदेश के प्रति अनुसक्ति (एडहेरेन्स टू टैरिफ आर्डर):

टैरिफ निर्धारण के समस्त आदेश उस समयावधि को इंगित करेगा जिसके लिए यह प्रचलित रहेगा और अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक निरंतर बना रहेगा। सामान्यतया कोई टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार, सिवाय आयोग द्वारा अनुमोदित वी.सी.ए. सूत्र के आधार पर ईंधन लागत और विद्युत क्रय की वजह से हुए समायोजनों को छोड़कर, संशोधित नहीं किया जाएगा ।

1. विनियम क्रमांक 76 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से अंतःस्थापित

16. **सहायिकी (सब्सिडी) प्रणाली :**

16.1 यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को सहायता करने का अभिनिश्चय करती है तो वह, अधिनियम की धारा–65 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान, सहायिकी स्वीकृत करने से प्रभावित हुए अनुज्ञप्तिधारी की क्षतिपूर्ति के लिए उस रीति से करेगी जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। परन्तु राज्य सरकार द्वारा सहायिकी स्वीकृत करने का कोई निर्देश तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जब तक अधिनियम की धारा 65 में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं कर दिया गया हो और आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में उसके द्वारा जारी आदेश के प्रभावशील होने की दिनांक से प्रयोज्य होगा ।

16.2 अधिनियम के इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग राज्य सरकार की सहायिकी संबंधी वचनबद्धता पर विचार किए बिना प्रारंभतः टैरिफ का निर्धारण करेगा और ऐसा सहायिकीकृत टैरिफ, उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता पर विचार करने के उपरांत निकाला जाएगा।

16.3 देय सहायिकी को राज्य सरकार के बकाया ऋणों के विरूद्ध किसी प्रकार से समायोजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय–3
वित्तीय सिद्धान्त

17 **ऋण (डेब्ट) समता (इक्विटी) अनुपात :**

17.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु दिनांक 01.04.2016 को और उसके बाद वाणिज्यिक संचालन में घोषित किसी परियोजना के लिए, यदि पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से अधिक समता पूंजी वस्तुतः लगाई गई है, तो 30 प्रतिशत से अधिक की समता को नॉरमेटिव्ह ऋण माना जाएगा; परन्तु जहां वस्तुतः लगाई गई समता पूंजीगत लागत के समतुल्य अथवा 30 प्रतिशत से कम है, वहां वास्तविक समता को टैरिफ के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि यदि निवेश की गई समता,(पूंजी/इक्विटी) विदेशी मुद्रा में है तो उसे प्रत्येक ऐसे निवेश की दिनांक को भारतीय रूपयों में अभिहित (डेजीगनेट) किया जाएगा।

उदाहरणः यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी परियोजना के वित्त पोषण हेतु समता पूंजी जारी करते समय और अपने फ्री रिजर्व में से निर्मित आंतरिक स्रोतों से निवेश करते समय उठाया गया प्रीमियम, यदि कोई हो तो उसे समता पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी) की संगणना के उद्देश्य से चुकता पूंजी माना जायेगा, बशर्ते ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक स्रोतों का उपयोग (यथास्थिति) उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली हेतु पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु किया गया हो।

परन्तु परियोजना क्रियान्वयन हेतु कोई उपभोक्ता अंशदान, कार्य निक्षेप और प्राप्त अनुदान मानदण्डीय ऋण : समता की संगणना के उद्देश्य से पूंजी संरचना के भाग के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।

17.2 उत्पादन केन्द्र और अनुज्ञप्तिधारी के मामले में, जिसे दिनांक 01.04.2016 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन में घोषित किया गया है, आयोग द्वारा अनुमत ऋण समता अनुपात, 31.03.2015 को समाप्त अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए विचार में लिया जाएगा।

17.3 01.04.2016 को अथवा उसके उपरांत किए गए किसी व्यय अथवा संभावित व्यय, जैसा भी आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाए, जिसमें जीवन विस्तारण हेतु जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण व्यय सम्मिलित है, उसे इन विनियमों के विनियम–17.1 में विनिर्दिष्ट रीति से सेवाकृत किया जाएगा ।

17.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में परियोजना की लागत और तद्नुसार ऋण साम्या के अनुपात की गणना, एकल लाईन (Individual Line) और परियोजना के स्थान पर पारेषण के सम्पूर्ण नेटवर्क या यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को विचार में लेते हुए परिगणित (केल्कुलेट) किया जाएगा।

17.5 राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार हेतु हस्तांतरण की दिनांक को लेखा पुस्तकों में यथा विद्यमान वास्तविक ऋण : समता अनुपात राज्य भार प्रेषण केन्द्र की प्रारंभिक पूंजी लागत हेतु विचार में लिया जाएगा;

परन्तु जब तक राज्य सरकार द्वारा पृथक कम्पनी अधिसूचित नहीं कर दी जाती तब तक राज्य पारेषण उपक्रम की लेखा पुस्तिकाओं में दर्शित ऋण साम्या अनुपात को विचार में लिया जाएगा; हस्तांतरण की दिनांक को अथवा उसके पश्चात् किए गए किसी निवेश हेतु यदि वास्तविक रूप से लगाई गई साम्या पूंजी लागत की 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत के आधे की साम्या को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा;
परन्तु जहां वास्तव में लगाई गई साम्या पूंजी लागत की 30 प्रतिशत से कम है तो प्रभारों के निर्धारण के लिए वास्तविक साम्या को विचार में लिया जाएगा;
परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित साम्या को ऐसे प्रत्येक निवेश की दिनांक पर भारतीय रूपयों में पदांकित किया जाएगा।

उदाहरण : राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंश पूंजी जारी करते समय एकत्र प्रिमियम, यदि कोई हो और अपने मुक्त संग्रह से निर्मित आंतरिक स्रोतों का निवेश जो पूंजीगत व्यय के लिए कोष में डाला जाता है उसे साम्य पर प्रतिफल की संगणना के उद्देश्य से चूकता पूंजी के रूप में गिना जाएगा, बशर्ते ऐसी प्रिमियम राशि और आंतरिक स्रोत का वास्तविक उपयोग पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए हो।

18 पूंजी लागत और पूंजीगत संरचना (Capital cost and capital structure)

18.1 किसी परियोजना की लागत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(क) आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के उपरांत यथाअनुमोदित, परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक किया गया व्यय, अथवा किए जाने हेतु पूर्वानुमानित व्यय, जिसमें सम्मिलित है निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय, ब्याज और वित्तीय प्रभार, निर्माण के दौरान ऋण राशि के विदेशी मुद्रा विनिमय के जोखिम संपरिवर्तन की वजह से हुई लाभ अथवा हानि;

(ख) निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) :

i. निर्माण के दौरान ब्याज की संगणना, ऋण कोष की निषेचन की दिनांक से लिए हुए ऋण से संगत होगी और SCOD तक राशियों की परिपक्व चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी;

ii. SCOD प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण निर्माण के दौरान ब्याज के लेखे अतिरिक्त लागत के प्रकरण में यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस प्रकार के विलम्ब हेतु समर्थनकारी दस्तावेजों सहित विस्तृत

औचित्य उपलब्ध कराना होगा जिसमें राशियों की परिपक्व चरणबद्ध निकासी सम्मिलित है;

iii. परन्तु जब इस प्रकार का विलम्ब यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कारण से न हुआ हो और इन विनियमों के विनियम–11 में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है तो निर्माण के दौरान ब्याज परिपक्व जांच के उपरांत अनुमत किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से परे वास्तविक ऋण पर केवल निर्माण के दौरान ब्याज उसी सीमा तक अनुमत किया जा सकेगा जहां कि विलम्ब यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के नियंत्रण से परे परिपक्व जांच के बाद और कोषों की परिपक्व चरणबद्ध निकासी को ध्यान में रखते हुए, पाया जाता है।

(ग) निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय (IEDC) :

i. निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय की संगणना शून्य दिनांक से और SCOD तक पूर्व संचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी;

परन्तु SCOD तक निर्माण अवधि के दौरान निक्षेपों और अग्रिमों पर ब्याज, अथवा किन्हीं अन्य प्राप्तियों के लेखे अर्जित राजस्व को निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय में से घटाने हेतु विचार में लिया जा सकेगा।

ii. निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय के खाते अतिरिक्त व्यय यदि SCOD प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण होता है तो यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसे विलम्ब के लिए समर्थनकारी दस्तावेजों सहित विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें विलम्ब की अवधि के दौरान हुए नैमित्तिक व्यय का विवरण और विलम्ब से संगत वसूली गई या वसूली योग्य परिसमापन नुकसानी सम्मिलित है;

परन्तु यदि ऐसा विलम्ब यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कारण नहीं हुआ है और विनियम–11 मे यथा विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों की वजह से है तो विहित परिपक्वता जांच के उपरांत निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय अनुमत किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा विलम्ब यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा लगाये गये किसी अभिकरण या संविदाकर्ता या प्रदायकर्ता के कारण हुआ है तो ऐसे अभिकरण या संविदाकर्ता या प्रदायकर्ता से वसूल की गई परिसमापन नुकसानी को पूंजी लागत की संगणना के लिए विचार में लिया जाएगा।

iii. ऐसे प्रकरण में जहां अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से आगे समय लंघन विहित परिपक्वता के उपरांत ही अनुमति योग्य नहीं है वहां समय लंघन की अवधि से संगत मूल्य परिवर्तन के कारण पूंजी लागत में वृद्धि को पूंजीकरण से निकाल दिया जाएगा, भले ही उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण

केन्द्र के आपूर्तिकर्ता या संविदाकर्ता से संविदाओं में मूल्य परिवर्तन के प्रावधान कुछ भी हों।

(घ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के प्रकरण में प्रभारों के निर्धारण का आधार राज्य भार प्रेषण केन्द्र/राज्य पारेषण उपक्रम की लेखा पुस्तिकाओं में उल्लिखित हस्तांतरण की दिनांक को पूंजीगत लागत के साथ नियंत्रण अवधि हेतु अनुमोदित सी.ए.पी.ई.एक्स योजना रहेगी।

(ड.) विनियम–18.3 में विनिर्दिष्ट ऊपरी दरों की सीमा में रहते हुए पूंजीकृत प्रारंभिक स्पेयर्स; और

(च) विनियम–19 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय;
परन्तु, ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग हैं, किन्तु उपयोग में नहीं आ रही, उन्हें लागत मूल्य में से बाहर कर दिया जाएगा।

18.2 आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के उपरांत यथाअनुमोदित लागत पूंजी टैरिफ अवधारणा का आधार होगी :

परन्तु, सतर्क जांच–पड़ताल में पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्तता (रिजेनेबिलीटी) की छान–बीन, वित्तीय योजना, निर्माण के दौरान ब्याज और IEDC दक्ष तकनीक का उपयोग, लागत मूल्य और समय में वृद्धि, और ऐसे अन्य मामले सम्मिलित किए जा सकेंगे जिन्हें कि आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु समुचित समझा जाए;

परन्तु, जहां कि वास्तविक पूंजीगत मूल्य अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से निम्नतर है, वहां टैरिफ निर्धारण हेतु वास्तविक पूंजीगत मूल्य को विचार में लिया जाएगा । अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से ऊपर और परे, (over and above) पूंजीगत मूल्य में किसी वृद्धि को आयोग द्वारा सतर्क जांच के अधीन विचार में लिया जा सकता है अथवा आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से उसका मिलान (vetting) किया जा सकता है;

परन्तु, ऐसे प्रकरण में जहां किसी विकासकर्ता को किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्थल प्रदान किया जाता है, वहां परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्थल को आबंटित कराने में किया गया कोई व्यय अथवा किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय लागत मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

परन्तु, यह भी कि ऐसे किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में लागत पूंजी हेतु निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :–

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के यथाअनुमोदित पैकेज के अनुरूप अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की लागत; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या DDUGY योजना आदि के निमित्त विकासकर्ता के 10 प्रतिशत अंशदान (कान्ट्रीब्यूशन) की लागत;

परन्तु, यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों के बीच दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबंध हुआ हो अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राही के बीच पारेषण सेवा अनुबंध हुआ हो वहां यथास्थिति वास्तविक व्यय की सीमा निर्धारित होने पर, आयोग द्वारा अनुमत (एडमिटेड), पूंजीगत व्यय टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी सीमा को विचार में लिया जाएगा।

18.3 लागत पूंजी में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे भी सम्मिलित किए जा सकेंगे।

18.3.1 उत्पादन यूटीलिटी :

निम्नलिखित ऊपरीसीमा मानदण्डों के अधीन रहते हुए प्रारंभिक स्पयेर्स संयंत्र और मशीन लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत होंगे :

i.	कोयला आधारित / लिग्नाईट ज्वलित ताप उत्पादन केन्द्र	–	4.00%
ii.	जलीय विद्युत उत्पादन केन्द्र	–	4.00%

18.3.2 पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली :

निम्नलिखित ऊपरीसीमा मानदण्ड के अधीन रहते हुए प्रारंभिक स्पयेर्स मूल पूंजीगत लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत होंगे :

i.	पारेषण प्रणाली तथा वितरण लाईन	–	0.50%
ii.	पारेषण प्रणाली तथा वितरण उपकेन्द्र	–	1.00%
iii.	सीरीज / समानान्तर क्षतिपूर्ति डिवाइसें और HVDC केन्द्र	–	3.50%
iv.	गैस इन्सूलेटेड उपकेन्द्र	–	3.50%

18.4 उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति प्रतिस्थान, नवीकरण और आधुनिकीकरण या पुरानी स्थावर परिसम्पत्तियों के जीवन विस्तार पर किए गए किसी व्यय को, मूल पूंजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियों के शुद्ध मूल्य को बट्टे खाते डालने के बाद विचार में लिया जाएगा ।

18.5 किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के वि–पूंजीकरण के प्रकरण में यथास्थिति वि–पूंजीकरण की दिनांक को ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत, सकल निश्चित परिसम्पत्ति के मूल्य में से घटा दी जाएगी और संगत ऋण के साथ–साथ साम्या को बकाया ऋण और साम्या में से क्रमशः उस वर्ष में विहित रूप से उस वर्ष को विचार में लेते हुए जिसे वर्ष में वह पूंजीकृत हुआ था, घटा दिया जाएगा जिसमें ऐसा वि–पूंजीकरण सम्पन्न होता है।

18.6 किसी वर्ष के दौरान औसत लागत पूंजी की परिगणना उस वर्ष के लिए प्रारंभिक और अंतिम सकल निश्चित परिसम्पत्तियों के औसत के रूप में की जाएगी;
परन्तु, नवीन उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई के लिए लागत पूंजी प्रोरेटा आधार पर उस वर्ष के दौरान प्रभारित की जाएगी जिस वर्ष में ऐसी परिसम्पत्ति वाणिज्यिक संचालन में घोषित की जाती है और परवर्ती वर्षों (आगामी वर्ष) में, लागत पूंजी को औसत परिसम्पत्ति के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

19 **अतिरिक्त पूंजीकरण** :

19.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद और कट–ऑफ दिनांक तक निम्नलिखित मदों के लिए कार्य की मूल सीमा में रहते हुए किया गया पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए अनुमानित व्यय, आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन रहते हुए अनुमत किया जा सकेगा :

(i) अन–उन्मोचित दायित्व; (अनडिस्चार्जड लाईबिलिटी)

(ii) निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्य;

(iii) विनियम 18.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक पुर्जों की प्राप्ति;

(iv) किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन अथवा माध्यस्थम के पंचाट के अनुपालन (अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन) का दायित्व; और

(v) विधि में कोई परिवर्तन;

परन्तु, कार्य के मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्यों के विवरण, मय व्यय के अनुमानों, अन–उन्मोचित दायित्वों; (अनडिस्चार्जड् लाईबिलिटीज) और निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्यों के विवरण, पूंजी निवेश योजना के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

19.2 निम्नलिखित के कारण कट–ऑफ दिनांक के बाद हुआ पूंजीगत व्यय, सतर्क जांच– पड़ताल के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा स्वविवेक से अनुमत (स्वीकृत) किया जाएगाः–

(i) माध्यस्थम् के पंचाट अथवा किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने का दायित्व;

(ii) विधि में परिवर्तन;

(iii) कार्य के मूल स्वरूप में एस पाण्ड अथवा एस हैंडलिंग की प्रणाली से संबंधित आस्थगित (डिफर्ड) कार्य;

(iv) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के मामले में कोई निवेश, जो प्राकृतिक विपदाओं (परन्तु, उत्पादन कंपनी के दुर्लक्ष्य के कारण विद्युत उत्पादन गृह में हुए जल भराव के कारण नहीं) के साथ ही इंश्योरेंस स्कीम (बीमा योजना) की कार्यवाही के समायोजन के पश्चात् भौगोलिक कारणों से हुई क्षति वजह से आवश्यक हुआ हो और ऐसा निवेश, जिसे आयोग उत्पादन केन्द्र के संचालन के लिए आवश्यक समझे, जैसी मदों पर रूपये एक करोड़ से अधिक का अतिरिक्त निवेश;

(v) पारेषण/वितरण प्रणाली के प्रकरण में रिले, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत लाईन संवहन संचार, डी.सी. बैटरियां, त्रुटि के स्तर में बढ़ोत्तरी के कारण स्विच यार्ड उपकरण को प्रतिस्थापित करना, आपात से बहाली की प्रणाली, विसंवाहकों (इंसूलेटरों) की सफाई संबंधी अधोसंरचना, ऐसे क्षतिग्रस्त उपकरण जिनका बीमा नहीं है उनका प्रतिस्थापन और रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा निवेश जो पारेषण/वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष संचालन हेतु आवश्यक हो गया हो, जैसी मदों पर कोई अतिरिक्त निवेश;

(vi) रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा कोई निवेश जो आयोग द्वारा तापीय विद्युत केन्द्र को संचालित करने हेतु अपरिहार्य समझा जाए;

परन्तु, गौण मदों की अप्राप्ति पर, अथवा औजारों और सार–संभालों, फर्नीचर, एयरकण्डीशनर, वोल्टेज स्टेबलाईजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, पंखों, वाशिंग मशीनों, हीट कन्वेटरों, कम्प्यूटर, गद्दों, कालीनों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर हुआ कोई व्यय, जो कट–ऑफ दिनांक के बाद किया गया हो, उसे यथास्थिति टैरिफ और/अथवा शुल्क के निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

20. नवीकरण और आधुनिकीकरण :

20.1 यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली की उपयोगी जीवनावधि के आगे जीवन विस्तार के उद्देश्य से किए जाने वाले नवीकरण और आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति हेतु आयोग के समक्ष प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, लागत उपयोगिता विश्लेषण किसी संदर्भ दिनांक से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता मूल्य जिसमें यदि कोई हो तो विदेशी मुद्रा घटक

का समावेश भी किया जाए, और अन्य कोई जानकारी जिसे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझा जाए, का समावेश होगा;

20.2 जहां उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति नवीकरण और आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, वहां लागत अनुमानों, वित्तीय योजना, पूर्णता की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक के उपयोग, लागत लाभ विश्लेषण, और ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा सुसंगत समझा जाए, की युक्तियुक्तता पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरांत, अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

20.3 नवीकरण और आधुनिकीकरण पर हुआ कोई व्यय या पूर्वानुमानित कोई व्यय पर विनियम 18.4 के अधीन प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी ।

कोयला अधारित ताप उत्पादन केन्द्रों हेतु विशेष भत्ता :

20.4 कोयला अधारित ताप उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, उत्पादन कम्पनी मरम्मत और संधारण व्यय का लाभ उठाने के स्थान पर इस विनियम में विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसरण में ''विशेष भत्ता'' का विकल्प उन व्ययों की आवश्यकता पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दे सकेगी जिनमें उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवनकाल से आगे नवीकरण और आधुनिकीकरण सम्मिलित है और ऐसी दशा में पूंजी लागत की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रयोज्य संचालन मानदण्डों को शिथिल नहीं किया जाएगा किन्तु वार्षिक निश्चित मूल्य में ''विशेष भत्ता'' सम्मिलित कर दिया जाएगा;

परन्तु यह विकल्प किसी ऐसे उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी इकाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसका नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा चुका है और जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आयोग द्वारा व्यय की अनुमति दी जा चुकी है, अथवा किसी ऐसे उत्पादन केन्द्र या इकाई हेतु जो समाप्त अवस्था में अथवा जिसका संचालन शिथिल संचालन और निष्पादन मानदण्डों के अधीन किया जा रहा है।

परन्तु यह भी कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट HTPS केन्द्र के लिए शिथिल संचालन मानदण्ड उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब ऐसा उत्पादन केन्द्र विशेष भत्ते का विकल्प देता है।

20.5 विशेष भत्ता वर्ष 2016–17 के लिए @ रूपये 7.5 लाख / मे.वा. प्रतिवर्ष होगा और उसके उपरांत इसमें @ 6.35% प्रतिवर्ष की दर से टैरिफ अवधि 2016–17 से 2020–21 तक इकाईवार की जाएगी,

परन्तु वास्तविकीकरण के समय भी, टैरिफ अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान विशेष भत्ते में @ 6.35% प्रतिवर्ष की दर से अभिवृद्धि की जाएगी।

20.6 आयोग द्वारा विशेष भत्ता स्वीकृत किए जाने की दशा में विशेष भत्ते का उपयोग करते हुए या किये गये व्यय का संधारण उत्पादन केन्द्र द्वारा पृथक से किया जाएगा और इसका विवरण आयोग को टैरिफ याचिकाएं / वास्तविकीकरण याचिकाएं प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराया जाएगा।

21. **उपभोक्ता अंषदान, निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) और अनुदान :**

21.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराए गए निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे :–

(क) उपयोगकर्ताओं से भागतः (अंशतः) अथवा पूर्णतः राशियां प्राप्त करने के बाद निक्षेप कार्यों के संदर्भ में कराए गए कार्य;

(ख) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ए.पी.डी.आर.पी., आदि की राशियों सहित प्राप्त अनुदानों के उपयोग से कराए गए पूंजीगत कार्य;

(ग) समान प्रकृति की कोई अन्य अनुदान और ऐसी प्राप्त राशियां, जिन्हें वापस करने हेतु कोई दायित्व नहीं है और जिसके साथ कोई ब्याज लागतें संबद्ध नहीं हैं, ऐसी आर्थिक सहायता;

परन्तु, आंशिक वित्त पोषण के प्रकरण में ऐसा बर्ताव (ट्रीटमेंट) उस सीमा तक सीमित रहेगा। ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्ययों के उपचार (ट्रीटमेंट) हेतु निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे :–

(क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार संचालन एवं संधारण व्यय की अनुमति दी जाएगी;

(ख) मूल्य ह्रास, साम्या पर प्रतिफल, (रिटर्न ऑन इक्विटी) और मानदंडीय ऋण (नॉरमेटिह्व लोन) पर ब्याज की अनुमति नहीं रहेगी ।

22. साम्या पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी)

22.1 **उत्पादन, पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र :** समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, रूपयों में विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना कर पूर्व (प्री टैक्स) आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर से इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसार दी गई सीमा में रहेगी।

22.2 **वितरण :** समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, रूपयों में विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना करपूर्व (प्री टैक्स) आधार पर अधिकतम 16 प्रतिशत की आधार दर से इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसार दी गई सीमा में रहेगी।

22.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु समता पूंजी पर प्रतिफल की दर, आधार वर्ष की प्रचलित एम. ए.टी. दर को आधार दर से सकलीकरण द्वारा संगणित की जाएगी;

परन्तु, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को यथास्थिति प्रयोज्य वास्तविक कर (टैक्स) की दर के संदर्भ में समता पूंजी पर प्रतिफल नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्ष में सुसंगत वित्तीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप रहेगा और उसे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पृथकतः वास्तवीकृत किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां उस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कर (टैक्स) देय नहीं है, वहां वास्तविकीकरण के उद्देश्य से कर (टैक्स) की दर को निरंक के रूप में लिया जाएगा।

समता पूंजी पर प्रतिफल की दर को 3 दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांकित किया जाएगा और निम्नांकित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :–

समता पूंजी पर प्रतिफल की कर (टैक्स) पूर्व दर = आधार दर /(1–t)

जहां इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसरण में 't' से तात्पर्य प्रयोज्य कर (टैक्स) की दर है;

परन्तु, जहां यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व वर्ष में हानि उठाई गई है और आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) को समता पूंजी पर प्रतिफल का निर्धारण करते समय विचार में नहीं लिया जा सकेगा ।

23 ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार :

23.1 विनियम 17 में दर्शायी रीति से प्राप्त ऋणों पर ऋण के ब्याज की गणना के लिए सकल मानदंडीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

23.2 01.04.2016की स्थिति में बकाया मानदंडीय ऋण (नॉर्मेटिव लोन) निकालने के लिए सकल मानदंडीय ऋण(ग्रास नॉर्मेटिव लोन) में से आयोग द्वारा अनुमत दिनांक 31.03.2016 तक के आवर्ती पुनर्भुगतान (कम्यूलेटिव रिपेमेंट)को घटा दिया जाएगा ।

23.3 टैरिफ अवधि के वर्ष हेतु पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुमत (अलाउड) अवमूल्यन (डेप्रीसिएशन) के समतुल्य माना जाएगा ।

23.4 उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति ली गई ऋण–स्थगन–अवधि (मॉरचोरियम पीरियड) के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से विचार में लिया जाएगा और वह अनुमत वार्षिक अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

23.5 ब्याज की दर, परियोजना के लिए प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर परिगणित भारांकित औसत ब्याज दर (केल्कुलेटेड वेटेड एवरेज इंट्रेस्ट रेट) होगी;

परन्तु, जहां किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं लिया गया है तथापि मानदंडीय ऋण फिर भी बकाया हो, वहां अंतिम उपलब्ध भारांकित औसत ब्याज दर विचार में ली जाएगी;

परन्तु, यह और भी कि जहां यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी के पास वास्तविक ऋण नहीं है वहां ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी की भारांकित औसत ब्याज दर समग्र रूप से विचारणीय होगी;

परन्तु, यह और भी कि नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी, जो अपना संचालन इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक के बाद प्रारंभ करने वाले हैं, और जिनके पास वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है वहां ब्याज की दर मानदंडीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर विचारणीय होगी और उस दिनांक, जब यथास्थिति विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वाणिज्यिक संचालन में घोषित किया गया, को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर +200 आधार बिन्दु के समतुल्य होगी ।

23.6 ऋण पर ब्याज की गणना करने के लिए उस वर्ष के मानदंडीय औसत ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर (वेटेड एवरेज रेट) लागू की जाएगी।

23.7 ब्याज की उपर्युक्त संगणना में ऋण राशि पर ब्याज, मानदंडीय हो अथवा अन्यथा, उस सीमा तक बाहर रखा जाएगा, जहां पूंजीगत लागत उपभोक्ता अंशदान, अनुदान द्वारा वित्त पोषित अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निक्षेप कार्यों (डिपोजिट वर्क्स) के रूप में कराया गया है ।

23.8 उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र यथास्थिति ऋणों की अदला–बदली के तब तक सभी प्रयास करेगी, जब तक इसके कारण से ब्याज पर शुद्ध बचत हो और उस स्थिति में ऐसे पुनःवित्तीकरण से जुड़ी हुई समस्त लागतें हितग्राहियों द्वारा वहन की जायेंगी और शुद्ध बचत हितग्राहियों तथा उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच, यथास्थिति 2:1 के अनुपात में बांटी जायेगी।

परन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में यह प्रावधान केवल उन्ही राज्यांतरिक एककों पर लागू होगा जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

23.9 परन्तु हितग्राही द्वारा ऋण के पुनःवित्तीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के दौरान, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावाकृत ब्याज के पेटे कोई भुगतान नहीं रोका जायेगा।

23.10 ऋण की शर्तो और दशाओं के परिवर्तनों को ऐसे पुनः वित्तीयकरण की दिनांक से दर्शाया जायेगा।

23.11 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में उपभोक्ताओं को सुरक्षा निक्षेप (नगद) पर ब्याज भुगतान, इन विनियमों के तहत ब्याज और वित्त प्रभारों के एक भाग के रूप में अनुमत होगा।

24. मूल्य–ह्रास (डेप्रीसिएशन) –

24.1 मूल्य ह्रास के उद्देश्य से आधार मूल्य (बेस व्हेल्यू) आयोग द्वारा अनुमत (अलाउड) पूंजी लागत (केपिटल कॉस्ट)रहेगी;

परन्तु, पूंजी लागत में अनुदान की राशियां अथवा विनियम 21 में विनिर्दिष्ट स्थिर परिसम्पत्ति के वित्त पोषण हेतु प्राप्त उपभोक्ता अंशदान अथवा निक्षेप कार्य सम्मिलित नहीं रहेगा।

24.2 सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों और राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार हेतु प्रयुक्त साफ्टवेयर को छोड़कर आस्तियों का अवशेष (साल्वेज व्हेल्यू ऑफ एसेस्ट्स) 10 प्रतिशत मान्य किया जायेगा और आस्ति की ऐतिहासिक पूंजी लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत तक का मूल्य ह्रास (डेप्रीसिएशन) स्वीकृत किया जायेगा।

परन्तु सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों और साफ्टवेयरों हेतु आस्तियों का अवशेष मूल्य निरंक विचार में लिया जाएगा और ऐसी परिसम्पत्तियों के शत् प्रतिशत मूल्य को मूल्य ह्रास (डेप्रीसिएशन) योग्य माना जाएगा।

24.3 लीज पर ली गई भूमि और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि और ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु राखबंद (एशबंड) की भूमि को छोड़कर, (अन्य) भूमि मूल्य ह्रास योग्य आस्तियां नहीं होगी और इस भूमि के मूल्य को आस्ति (एसेस्ट्स) के मूल्य ह्रास किये गये (डेप्रीसिएटेड व्हेल्यू) की गणना करते समय पूंजी लागत में से अलग कर दिया जायेगा।

24.4 उत्पादन केन्द्र, पारेषण प्रणाली, वितरण प्रणाली और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों पर अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरलरेखा विधि से आस्तियों के उपयोगी जीवन और इन विनियमों से संलग्न अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट दरों पर की जायेगी;

परन्तु, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से बाद के 15 वर्षों के अवधि उपरांत वर्ष के अंत में 31 मार्च को शेष रही अवमूल्यनीय मूल्य को आस्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल में विस्तारित कर दिया जायेगा।

वर्तमान परियोजनाओं के प्रकरण में दिनांक 01.04.2016 को शेष अवमूल्यनीय मूल्य, आस्तियों के सकल मूल्य–ह्रास योग्य मूल्य में से आयोग द्वारा 31.03.2016 तक अनुमत आवर्ती मूल्य–ह्रास को घटाकर निकाला जायेगा।

परन्तु उन प्रकरणों में जहां पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन आयोग द्वारा किया गया है और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु इन विनियमों में दी गई मूल्य ह्रास दरें अपर्याप्त है वहां मूल्य ह्रास की दर आयोग द्वारा परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए टैरिफ आदेश जारी करते समय निर्धारित की जाएगी।

24.5 जब तक राज्य सरकार द्वारा पृथक राज्य भार प्रेषण केन्द्र कम्पनी अधिसूचित नहीं कर दी जाती तब तक राज्य पारेषण उपक्रम हेतु इन विनियमों के अधीन यथा प्रयोज्य मूल्य ह्रास की गणना की जाएगी;

परन्तु शेष मूल्य ह्रास योग्य बकाया, जैसा वह हस्तांतरण की दिनांक को है, को निकालने हेतु यथा हस्तांतरण की दिनांक राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लेखा पुस्तिकाओं में दर्शित आस्तियों का सकल ह्रास योग्य मूल्य में से संचयी मूल्य ह्रास घटा दिया जाएगा।

24.6 मूल्य–ह्रास वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। मूल्य–ह्रास की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्तियों के आधार पर की जायेगी;

परन्तु, नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई हेतु मूल्य–ह्रास उस वर्ष के दौरान आस्ति के प्रो रेटा आधार पर किया जायेगा। जिसमें उसे वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत घोषित किया गया है। परवर्ती वर्षो के लिए मूल्य–ह्रास की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्ति के आधार पर की जायेगी।

25. **कार्यशील पूंजी पर ब्याज**–

25.1 कार्यशील पूंजी के अंतर्गतः

(क) कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के प्रकरणों में:

(i) कोयले की लागत, यदि प्रयोज्य हो, गर्तमुख(पीट–हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु एक महीने की और गैर गर्तमुख(पीट–हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु डेढ़ महीने, उत्पादन हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धिकारक,एन,ए,पी,एफ के आधार पर, धन;

(ii) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धिकारक, एन,ए,पी,एफ के आधार पर उत्पादन हेतु दो महीनों के लिए द्वितीयक ईंधन तेल की लागत, और जहॉ एकाधिक द्वितीयक ईंधन तेल का उपयोग होता है, वहॉ मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल के ईंधन तेल भंडार की लागत, धन;

(iii) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(iv) विनियम 38.5.1 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

परन्तु नवीन केन्द्रों के प्रकरण में संधारण स्पेयर्स की संगणना प्रारंभिक GFA के प्रतिशत के रूप में होगी जिसे आयोग द्वारा परिपक्व जांच के अधीन टैरिफ आदेश जारी करते समय निर्धारित किया जाएगा।

(v) एक (1) महीने के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज)समतुल्य प्राप्तव्य जिन्हें मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक पर परिगणित किया गया है।

(ख) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में:

(i) एक (1) महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) यथास्थिति, विनियम 38.5.3 या 0 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) एक (1) महीने की स्थिर लागत (फिक्स्ड चार्ज) के समतुल्य प्राप्तव्य।

(ग) पारेषण व्यापार के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) विनियम 47.5 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) एक महीने की स्थिर लागत (फिक्स्ड चार्ज) के समतुल्य प्राप्तव्य।

(iv) घटाएं पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा निक्षेपों के रूप में धारित कोई राशि, यदि कोई हो।

(घ) वितरण व्हीलिंग व्यापार के प्रकरण में:

(i) उस वित्तीय वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय की राशि का बारहवाँ (1/12) भाग, धन;

(ii) विनियम 57.4 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) प्रचलित टैरिफों पर वितरण तारों के उपयोग हेतु प्रभारों से अनुमानित राजस्व का एक माह के समतुल्य;

(ङ.) विद्युत के फुटकर प्रदाय के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) विनियम 66.6 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) प्रचलित टैरिफों पर विद्युत के विक्रय से अनुमानित राजस्व का एक माह के समतुल्य प्राप्तव्य;

(iv) घटाएं : उपभोक्ताओं से सुरक्षा निक्षेप (एस.डी.) के रूप में रखी गई राशि।

[1]{**स्पष्टीकरण :—**

क्रमांक	विवरण	**वार्षिक राजस्व आवष्यकता (राषि करोड़ में)**	
		परिदृष्य–1	**परिदृष्य–2**
1.	कुल कार्यषील पूंजी की आवष्यकता	400.00	400.00
2.	घटाए : उपभोक्ता का सुरक्षा निधि	350.00	450.00
3.	वास्तविक कार्यषील पूंजी	50.00	(50.00)
4.	ब्याज दर	13.20%	13.20%
5.	कार्यषील पूंजी पर ब्याज	6.60	(6.60)

}[1]

(च) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) विनियम 74.5 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित एक (1) माह के प्रणाली संचालन प्रभारों और बाजार संचालन प्रभारों के समतुल्य प्राप्तव्य।

25.2 वास्तविकीकरण के समय उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्यशील पूंजी आवश्यकता प्राप्तव्यों की संगणना एक (1) महीने के वास्तविक राजस्व देयक में दर्शित के समतुल्य निर्धारित की जाएगी।

25.3 विनियम 25.1 के उपखण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में ईंधन की लागत, उत्पादन कम्पनी द्वारा मानदण्डीय परिवहन और हैण्ड़लिंग की हानियों (नार्मेटिव्ह ट्रांजिट एंड हैंडलिंग

1. विनियम क्रमांक 76/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से अंतःस्थापित

लॉस) को ध्यान में रखते हुए, उनकी पहुंच लागत (लैंडेड कॉस्ट) और ईंधन के सकल कैलोरी मूल्य (जी.सी.व्ही.) जो कि तीन महीनों के लिए उपलब्ध नवीनतम् उपलब्ध वास्तविक डाटा के अनुरूप होगा और टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन मूल्य में वृद्धि संबंधी किसी पूर्वानुमान को विचार में नहीं लिया जायेगा।

25.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर उस वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (बेस रेट) धन 350 आधार बिन्दु (बेसिस प्वाइंट) के समतुल्य अनुमत होगी, जिस वर्ष में याचिका दाखिल की गई है। वास्तविकीकरण ब्याज की दर को उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को प्रचलित वास्तविक दर के अनुसार समायोजित किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविकीकरण का कार्य किया गया है।

25.5 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानदंडीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर भुगतान योग्य होगा, भले ही उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए किसी बाहरी एजेंसी से ऋण प्राप्त नहीं किया गया हो।

26. आय पर कर –

कोर व्यापार को छोड़कर किसी अन्य स्रोत (स्ट्रीम) से होने वाली आय को टैरिफ में पास थ्रु घटक नहीं माना जायेगा और इस प्रकार की अन्य आय पर लगने वाला कर यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में जहॉ किसी अन्य स्रोत के अंतर्गत आय/सेवाओं अथवा वार्षिक राजस्व आवश्यकता में विचारित किसी गैर टैरिफ आय के लिए कर का भुगतान किया गया है वहॉ ऐसे कर भी टैरिफ में से पास थ्रु कर दिए जायेंगे।

27. छूट–

उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र के देयकों का भुगतान साख पत्र अथवा अन्यथा के माध्यम से किये जाने पर चालू देयक की चुकता राशि के 01 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते उत्पादन कम्पनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति देयकों के प्रस्तुत करने से 07 दिवस के भीतर भुगतान किया जाता है।

28. विलम्बित भुगतान पर अधिभार–

28.1 यदि इन विनियमों के अंतर्गत भुगतान योग्य प्रभारों के किसी देयक के भुगतान में हितग्राही/राज्यांतरिक एकक द्वारा बिल दिनांक से 30 दिवस से अधिक का विलंब किया जाता है तो विलम्ब के प्रत्येक दिवस के लिए विलम्बित भुगतान प्रभार 0.04 प्रतिशत का विलम्बित भुगतान अधिभार बकाया राशि पर साधारण ब्याज के रूप में संबंधित उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र/प्रणाली संचालनकर्ता द्वारा वसूल किया जायेगा। वास्तविकीकरण के समय हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किए गए/प्राप्त विलम्बित भुगतान अधिभार को यथास्थिति व्यय/राजस्व के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।

28.2 फुटकर ग्राहक के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार सुसंगत टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार वसूलनीय होगा।

29. विदेशी मुद्रा विनिमय दर–विचलन (वेरिएशन)

29.1 यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द उस विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा

विनिमय विचलन जोखिम का सामना कर सकते हैं जो उन्होनें उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली या वितरण की प्रणाली लगाने हेतु, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, भागतः या पूर्णतः प्राप्त किया है।

29.2 प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और राज्य भार प्रेषण केन्द और अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत वर्ष में वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि में जब ऐसे व्यय उद्भूत होते हैं, मानदण्डीय विदेशी ऋण से संगत विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन जोखिम की लागत वसूल करेगा और ऐसी विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन से संगत अतिरिक्त रूपये का दायित्व विदेशी ऋण जोखिम के विरूद्ध अनुमत नहीं किया जायेगा।

29.3 उस सीमा तक जहॉ उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द, ब्याज भुगतान और ब्याज पुनर्भुगतान के निमित्त अतिरिक्त रूपये के दायित्व का विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम नहीं उठा पाते हैं, वहां उन्हें सुसंगत वर्ष में मानदण्डीय विदेशी मुद्रा अनुमति योग्य होगी, बशर्ते ऐसा उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या इसके प्रदायकर्ताओं या संविदाकर्ताओं की वजह से न हुआ हो।

30. विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन जोखिम की लागत की वसूली–

प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और/अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द जोखिम लागत और विदेशी मुद्रा विनिमय दर विचलन की लागत वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में हितग्राहियों से वसूल करेंगे।

31. बिलिंग और प्रभारों का भुगतान–

31.1 उत्पादन कम्पनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा इन विनियमों के अनुसरण में मासिक आधार पर क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार हेतु देयक भेजे जायेंगे और उपभोक्ताओं द्वारा उनका भुगतान, यथास्थिति सीधे उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम को किया जायेगा।

31.2 किसी ऐसी संयंत्र–क्षमता जिसके लिए हितग्राही को चिन्हित और अनुबंधित नहीं किया गया है, से संबंधित पारेषण प्रभार का भुगतान संबंधित उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

31.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के शुल्कों और प्रभारों के देयक और वसूली इन विनियमों के अध्याय–8 में यथा परिभाषित अनुसार होंगे।

31.4 फुटकर उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग का कार्य प्रचलित छत्तीसगढ़ प्रदाय संहिता और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।

31.5 उस दशा में जब राज्य सरकार सब्सिडी की देय राशि का भुगतान समय सीमा में और फुटकर उपभोक्ताओं के लिए नगद में नहीं करती, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित/वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर देयक जारी करेगा।

32. पेंषन कोष :

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,/राज्य विद्युत कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले हुई है की पिछली अकोषित (अंफन्डेड) देयताओं (लाईबिटीज) को पूरा करने के लिए एक पेंशन और ग्रेज्युटी ट्रस्ट निर्मित किया गया है और जिसके वित्त पोषण की अनुमति आयोग के पिछले टैरिफ आदेशों में दी गई है। इस कोष में अंशदान का निर्णय

आयोग द्वारा बीमांकिक विश्लेषण, (actuarial analysis) राज्य ऊर्जा कम्पनियों को संभावित पेंशन प्रवाह और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एम.वाय.टी./ए.आर.आर. के निर्धारण के समय पेंशन ट्रस्ट के पास राशि की उपलब्धता के आधार पर लिया जायेगा। तथापि पेंशन भुगतान के प्रत्येक वास्तविक प्रवाह (एक्चुअल फ्लो) को नियंत्रण अवधि हेतु इन विनियमों में लिए गए संचालन और संधारण व्ययों में अनुमत नहीं किया जायेगा। पेंशन ट्रस्ट द्वारा पेंशन के बाह्य प्रवाह (आउट फ्लो) की पूर्ति की जायेगी। इस प्रकार आयोग द्वारा निर्धारित पेंशन कोष अंशदान सुसंगत अध्यायों में विनिर्दिष्ट रीति से वसूली योग्य होगा।

परन्तु जिस समय तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण उपक्रम का ही भाग है तब तक राज्य पारेषण उपक्रम के अंशदान मे से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के भाग का निर्धारण प्रोरेटा आधार पर किया जाएगा। अनुपात निर्धारण के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या हेतु, पूर्ववर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को विचार में लिया जाएगा।

अध्याय–4
उत्पादन

33. उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका–

इन विनियमों में किये गए प्रावधानों के अनुसरण में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत प्रदाय करने के लिए, शुल्क के निर्धारण हेतु किसी उत्पादन कम्पनी को सीधे या दीर्घावधि अनुबंध के अधीन राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

34. टैरिफ के घटक–

34.1 किसी तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ दो भागों से मिलकर बनेगा, नामतः, क्षमता प्रभार (विनियम 35 में विनिर्दिष्ट घटकों से निर्मित वार्षिक निश्चित लागत की वसूली हेतु) और ऊर्जा प्रभार (ईंधन की लागत की वसूली हेतु)।

34.2 किसी जलीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ कंपोजिट क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार से ऐसी रीति में निकाला जायेगा जो विनियम 42 में विनिर्दिष्ट है (विनियम 35 में संदर्भित घटकों को सम्मिलित करते हुए)।

35. वार्षिक निष्चित प्रभार–

35.1 किसी उत्पादन केन्द्र की वार्षिक निश्चित लागत (ए.एफ.सी) में निम्नलिखित घटकों का समावेश होगाः

(क) समता पर प्रतिफल;

(ख) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(ग) अवमूल्यन;

(घ) कार्यशील पूंजी पर ;ब्याज

(ङ) संचालन और संधारण व्यय.

घटाएं

(च) गैर–टैरिफ आय

टीपः 1. विनियम 0 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार गैर टैरिफ आय को, वार्षिक निश्चित प्रभार निकालनें के लिए, उपर्युक्त (**क** से **ङ** तक) के योग में से घटा दिया जायेगा।

2. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों की वसूली, इन विनियमों के अध्याय–8 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित शुल्कों और प्रभारों के अनुसार की जाएगी।

3. पेंशन और ग्रेज्युटी कोष के अंशदान, आयोग द्वारा शुल्क आदेश में निर्धारित किये अनुसार समान मासिक किश्तों में वसूली योग्य होंगे।

4. वैधानिक कर और ड्युटी प्रतिपूर्ति आधार पर वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे;
तथापि, इन विनियमों के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार तापीय और जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए अवमूल्यन, ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार अनुमत किये जायेंगे।

36. पूंजी लागतः

इन विनियमों के विनियम 18 में प्रावधानित अनुसार पूंजी लागत की अनुमति दी जावेगी।

37. अस्थिर (Infirm) विद्युत का विक्रयः

अस्थिर विद्युत का विक्रय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर होगा;
परन्तु उत्पादन कंपनी द्वारा अस्थिर विद्युत के प्रदाय से अर्जित कोई राजस्व, ईंधन प्रभारों के पेटे गणना मे लिए जाने के बाद तदनुसार पूंजी लागत सामायोजन में लिए जाएंगे।

38. वार्षिक निश्चित प्रभारों की गणना :

38.1 साम्या पर प्रतिफल :

उत्पादन कम्पनी हेतु साम्या पर प्रतिफल इन विनियमों के विनियम 22 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमत होगा।

38.2 ऋण पूंजी पर ब्याज :

उत्पादन कम्पनी हेतु ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार, इन विनियमों के विनियम 23 में यथा विनिर्दिष्टि अनुमत होगा।

38.3 मूल्य ह्रास :

उत्पादन कम्पनी को स्थिर आस्तियों के मूल्य पर मूल्य ह्रास वसूल करने के लिए इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुमति दी जाएगी।

38.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज :

उत्पादन कम्पनी हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 25 में यथा विनिर्दिष्टि अनुमत होगा।

38.5 संचालन और संधारण व्यय :

38.5.1 तापीय उत्पादन केन्द्र :

(क) उत्पादन कंपनी के लिए संचालन और संधारण व्यय में निम्नांकित सम्मिलित होंगे :–

(i) कर्मचारियों का व्यय;

(ii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

(iii) मरम्मत और संधारण व्यय

(ख) आयोग द्वारा संचालन और संधारण व्ययों के प्रत्येक घटक, नामतः—कर्मचारी लागत, मरम्मत और संधारण व्यय और प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) व्यय को नियंत्रण अवधि के लिए सभी वर्तमान उत्पादन केन्द्रों हेतु अनंबंधित किया जाएगा, सेवाएं नवीन उत्पादन केन्द्रों के, जिनके लिए संचालन और संधारण व्ययों का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्ते और दशाएं) विनियम, 2014 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

कर्मचारी लागत

(ग) पेंशन कोष अंशदान, वेतनमान पुनरीक्षण की बकाया राशि के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य व्यय को छोड़कर कर्मचारी लागत, अधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए वास्तविक कर्मचारी व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाली जाएगी जिसमें आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए पेंशन कोष अंशदान, वेतन पुनरीक्षण बकाया के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य ऐसे व्यय सम्मिलित नहीं होंगे जो आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2015—16 के तुरंत पूर्व के पिछले पांच (5) वर्षो के लेखाओं में उपलब्ध हो।

(घ) सामान्यीकरण का कार्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में वर्षानुवर्षी आधार पर विगत पांच वर्ष की औसत बढ़त को मानते हुए किया जाएगा तब वित्तीय वर्ष 2010—11 से वित्तीय वर्ष 2014—15 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत, वर्ष 2015—16 के आधार वर्ष मूल्य को प्रक्षेपित (प्रोजेक्ट) करने में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार, उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उस वर्ष के दौरान हुई वास्तविक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण (एरियर्स को सम्मिलित करते हुए) और पेंशन कोष अंशदान के प्रभाव को लेखों के वास्तविकीकरण के दौरान वास्तविक रूप से, आयोग की सतर्क जांच और ऐसे किसी अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना उचित समझे, के अधीन अनुमत किया जाएगा।

प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय

(ड.) आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए प्रशासनिक और सामान्य (जल प्रभारों को छोड़कर) व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय को वास्तविक प्रशासनिक और सामान्य व्ययों (जल प्रभारों को छोड़कर) और मरम्मत एवं संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जाएगा जो आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए आधार वर्ष 2015—16 के ठीक पूर्ववर्ती पांच (05) वर्षो के लेखों में क्रमशः उपलब्ध हो।

(च) वास्तविकीकरण का कार्य वर्षानुवर्षी आधार पर पिछले पांच (05) वर्षो की थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को लागू करते हुए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010—11 से वित्तीय 2014—15 हेतु सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग, तब वित्तीय वर्ष 2015—16 हेतु आधार वर्ष मूल्य प्रेक्षेपित करने के लिए किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय, प्रशासनिक और सामान्य व्ययों तथा संचालन और संधारण व्ययों पर विचार उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

परन्तु ऐसे जल प्रभार टैरिफ में प्रतिपूर्ति के आधार पर पास थ्रू कर दिए जाएंगे

38.5.1.1 दिनांक 01.04.2010 के उपरांत वाणिज्यिक संचालन में आने वाली इकाईयों /केन्द्रों के लिए आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए संचालन और संधारण व्यय, निम्नानुसार विचारणीय होंगे :—

(क) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्ते और दशाएं) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिए मानदण्डीय संचालन और संधारण व्यय होंगे और उन्हें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के लिए अनुमत मूल्य के 90 प्रतिशत की दर से अनुमत किया जाएगा। ऐसी मानदण्डीय मूल्य राज्य सरकार को भुगतान योग्य जलकरों को छोड़कर होगा जिसे हितग्राही को वास्तविक आधार पर पास थ्रू कर दिया जाएगा। तथापि पेंशन कोष दायित्वों को छोड़कर इस प्रकार निकाला गया मानदण्डीय मूल्य मुख्यालय या होल्डिंग कंपनी के व्ययों की पूर्ति के लिए हुए समस्त खर्चो को सम्मिलित करते हुए माना जाएगा।

(ख) उपर्युक्तानुसार निकाला गया वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिए समायोजित मूल्य वर्षानुवर्षी आधार पर वित्तीय वर्ष 2014—15 तक, सी.पी.आई.:डब्ल्यू.आई. अनुपात के 60:40 के औसत भारमान पर, वास्तविक मुद्रास्फीति से वर्धित (ऐस्केलेटेड) किया जाएगा।

(ग) वित्तीय वर्ष 2015—16 और उससे आगे का मानदण्डीय मूल्य पूर्वानुमानित करने के लिए पिछले पांच वर्षो (अर्थात् 2010—11 से वित्तीय वर्ष 2014—15) की औसत मुद्रास्फीति को लागू किया जाएगा।

परन्तु वास्तविकीकरण के संबंध में मानदण्डीय संचालन और संधारण व्यय पर उस अवधि के लिए वास्तविक मुद्रास्फीति का प्रभाव ध्यान में लेने के लिए पुनः समायोजित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि वेतन पुनरीक्षण (एरियर्स सहित), यदि कोई हो के प्रभाव को वास्तविकीकरण के दौरान पृथक से आयोग की परिपक्व जांच और ऐसे किसी अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना समुचित समझे, विचार में लिया जाएगा।

38.5.2 **वर्तमान जल विद्युत उत्पादन केन्द्रः**

(क) उत्पादन कम्पनी के लिए, संचालन और संधारण व्यय में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगेः—

(i) कर्मचारियों पर व्यय;

(ii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

(iii) मरम्मत और संधारण।

(ख) आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के लिए संचालन और संधारण व्ययों के प्रत्येक घटक नामतः, कर्मचारी व्यय, मरम्मत और संधारण व्यय तथा प्रशासनिक और सामान्य व्यय हेतु पृथक से प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्ट्री) तैयार की जाएगी।

कर्मचारी लागत

(ग) पेंशन कोष अंशदान, वेतनमान पुनरीक्षण की बकाया राशि के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य व्यय को छोड़कर कर्मचारी लागत, अधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए वास्तविक कर्मचारी व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाली जाएगी जिसमें आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए पेंशन कोष अंशदान, वेतन पुनरीक्षण बकाया के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य ऐसे व्यय सम्मिलित नहीं होंगे जो आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2015—16 के तुरंत पूर्व के पिछले पांच (5) वर्षो के लेखाओं में उपलब्ध हो।

(घ) सामान्यीकरण का कार्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में वर्षानुवर्षी आधार पर विगत पांच वर्ष की औसत बढ़त को मानते हुए किया जाएगा तब वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान यमूल्य का औसत, वर्ष 2015–16 के आधार वर्ष मूल्य को प्रक्षेपित (प्रोजेक्ट) करने में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार, उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उस वर्ष के दौरान हुई वास्तविक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण (एरियर्स को सम्मिलित करते हुए) और पेंशन कोष अंशदान के प्रभाव को लेखों के वास्तविकीकरण के दौरान वास्तविक रूप से, आयोग की सतर्क जांच और ऐसे किसी अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना उचित समझे, के अधीन अनुमत किया जाएगा।

प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय

(ङ.) आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रशासनिक और सामान्य (जल प्रभारों को छोड़कर) व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय को वास्तविक प्रशासनिक और सामान्य व्ययों (जल प्रभारों को छोड़कर) और मरम्मत एवं संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जाएगा जो आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए आधार वर्ष 2015–16 के ठीक पूर्ववर्ती पांच (05) वर्षो के लेखों में क्रमशः उपलब्ध हो।

(च) वास्तविकीकरण का कार्य वर्षानुवर्षी आधार पर पिछले पांच (05) वर्षो की थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को लागू करते हुए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय 2014–15 हेतु सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग, तब वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आधार वर्ष मूल्य प्रेक्षेपित करने के लिए किया जाएगा।
वास्तविकीकरण के समय, प्रशासनिक और सामान्य व्ययों तथा संचालन और संधारण व्ययों पर विचार उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
परन्तु ऐसे जल प्रभार टैरिफ में प्रतिपूर्ति के आधार पर पास थ्रू कर दिए जाएंगे।

38.5.3 **नवीन जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए :**

(क) संचालन के प्रथम वर्ष हेतु संचालन और संधारण व्यय मूल परियोजना लागत (पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यो में हुए व्यय को छोड़कर) का 1.5 प्रतिशत होगा;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्ययों का निर्धारण उपर्युक्तानुसार संचालन के प्रत्येक वर्ष हेतु निर्धारित आधार वर्ष के व्ययों को विनियम 40.3 में प्रावधानित मूल्य वृद्धि कारक पर मूल्य वर्धित करते हुए किया जायेगा।

38.6 **गैर–टैरिफ आय :**

उत्पादन कम्पनी के व्यापार से आनुषांगिक कोई आय जिनमें अग्रांकित सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्त्रोतों से जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, राखड़/विचयनित कोयले की बिक्री से आय, और विद्युत के विक्रय से आय को छोड़कर अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित है, गैर–टैरिफ आय निर्मित करेगी।

उत्पादन के व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ आय के राशि आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार उत्पादन कम्पनी के वार्षिक निश्चित प्रभार को निर्धारित करते समय वार्षिक निश्चित लागत में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, उत्पादन कम्पनी द्वारा गैर टैरिफ आय का अपना अनुमान आयोग को ऐसे प्रारूप में पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

39. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संचालन हेतु मानदण्ड :

39.1 निश्चित प्रभारों की वसूली के लिए मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारकः–(एन.ए.पी.ए. एफ):–

(क) के.टी.पी.एस. और एच.टी.पी.एस. को छोड़कर समस्त तापीय उत्पादन केन्द्र–85%

(ख) हसदेव ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, कोरबा (एच.टी.पी.एस.) – 83%

39.2 मानदंडीय वार्षिक संयंत्र भार कारकः–(एन.ए.पी.एल.एफ.):–

(क) के.टी.पी.एस. और एच.टी.पी.एस. को छोड़कर समस्त तापीय उत्पादन केन्द्र–85%

(ख) हसदेव ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, कोरबा (एच.टी.पी.एस.) – 83%

39.3 केन्द्र की सकल ऊष्मा दरः– (जी.एस.एच.आर.)

क. वर्तमान तापीय विद्युत केन्द्र

(अ) वर्तमान कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र, केटीपीएस, डीएसपीएम और एचटीपीएस को छोड़कर निम्नानुसार होगी :–

200 / 210 / 250 मेगावॉट सेट्स	500 मेगावाट सेट(सब–क्रिटिकल)
2450 किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.	2375 किलो कैलोरी / के.डब्ल्यू.एच.

(ब) डीएसपीएम (2x250 MW) के प्रकरण में सकल केन्द्र ऊष्मा दर (जी.एच.आर.) 2500 किलो कैलोरी / के.डब्ल्यू एच. होगी,

(स) हसदेव ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, कोरबा (4X210 मेगावॉट), 2650 किलो कैलारी / के. डब्ल्यू एच. होगी।

टीप– 1. 500 मेगावॉट और उससे ऊपर की ईकाइयों में जहॉ बायलर फीड पंप विद्युत से संचालित होते हैं, वहॉ सकल केन्द्र ऊष्मा दर ऊपर विनिर्दिष्ट केन्द्र ऊष्मा दर से 40 किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच. कम होगी।

2. ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जहॉ 200 / 210 / 250 मेगावॉट सेट्स और 500 मेगावॉट और उससे ऊपर के सेट्स का संयोजन है वहां मानदण्डीय सकल उत्पादन केन्द्र ऊष्मा दर को इन संयोजनों के औसत सकल विद्युत उत्पादन केन्द्र ऊष्मा दर संयोजनों से भारांकित किया जायेगा।

ख. ऐसे ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र जो दिनांक 01.04.2016 को या उसके उपरांत वाणिज्यिक उत्पादन में आये हैंः

(अ) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र = 1.065 × रूपांकन ऊष्मा दर (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.)

जहां किसी इकाई की रूपांकन ऊष्मा दर से अभिप्रेत है, शत्प्रतिशत एम.सी.आर., 0 (शून्य) प्रतिशत मेकअप, रूपांकित कोयला और रूपांकित कूलिंग टावर तापमान / बैक प्रेशर की दशाओं में प्रदायकर्ता द्वारा गारंटीकृत इकाई ऊष्मा दर;

परन्तु ऐसी रूपांकन ऊष्मा दर निम्नांकित अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दरों से, इकाई की दबाव और तापमान रेटिंग पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित अधिकतम रूपांकन ऊष्मा दर से अधिक नहीं होगी —

दबाव रेटिंग (के.जी / वर्ग से. मी.)	150	170	170	247	247
एस.एच.टी. / आर.एच.टी (°सी)	535 / 535	537 / 537	537 / 565	537 / 565	565 / 593
बी.एफ.पी. का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित
अधिकतम टरबाईन चक्र ऊष्मा दर (किलो कैलोरी / के. डब्ल्यू एच.)	1955	1950	1935	1900	1850
न्यूनतम बायलर दक्षता					
उप बिटुमिनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0..85
बिटुमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.)					
उप बिटुमिनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटुमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2079

परन्तु, यह और कि जिस प्रकरण में किसी इकाई के दबाव और तापमान के मानक उपर्युक्त रेटिंग से भिन्न है, वहां निकटतम श्रेणी की अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर को लिया जायेगा;

परन्तु, यह और भी कि जहां इकाई ऊष्मा दर गांरटीकृत नहीं है लेकिन उसी प्रदायकर्ता या भिन्न प्रदायकर्ताओं द्वारा ऊष्मा दर और बायलर की दक्षता पृथक से गारंटीकृत है, वहां इकाई रूपांकन उष्मा दर निकालने के लिए गारंटीकृत टरबाईन चक्रिय ऊष्मा दर और बायलर दक्षता का उपयोग किया जायेगा;

टीपः ऐसी इकाईयों जहां बायलर के फीड पंप विद्युत से संचालित होते हैं वहां अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर, ऊपर विनिर्दिष्ट टरबाईन चलित बी.एफ.टी. की अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर से 40 (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.) कम होगी।

39.4 द्वितीयक ईंधन तेल की खपतः

(क) के.टी.पी.एस. और एच.टी.पी.एस. को छोड़कर कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए : 0.50 एम.एल. / के.डब्ल्यू.एच.

(ख) एच.टी.पी.एस. के लिए : 0.80 एम.एल. / के.डब्ल्यू.एच.

39.5 सहायक विद्युत खपतः

(क) के.टी.पी.एस. और एच.टी.पी.एस. को छोड़कर, कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए:

		नैसर्गिक सूखी (नेचुरल ड्राउट) कूलिंग टॉवर या बिना कूलिंग टॉवर के
(i)	200 मेगावॉट श्रेणी	8.50%
(ii)	500 मेगावॉट से ऊपर	
	वाष्प चलित बायलर फीड पंप	5.25%
	विद्युत चलित बायलर फीड पंप	7.75%

परन्तु, यह कि कम सूखी (इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट) कूलिंग टॉवर वाले ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए मानदंडों में 0.5 प्रतिशत की और भी वृद्धि की जायेगी;

परन्तु, यह भी कि स्टैटिक एक्साईटेशन प्रणाली के लिए मानदण्डों में 0.3% की और भी वृद्धि की जायेगी।

(ख) विद्युत केन्द्रों के पुराने कार्य निष्पादन और रूपांकन पहलुओं को विचार में लेते हुए छ. ग. राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित के हसदेव ताप विद्युत केन्द्रों के लिए सहायक खपत को 9.70% पर निश्चित किया गया है।

39.6 अन्यत्र में समाविष्ट किसी और बात के होते हुए भी कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए संचालन के मानदण्ड, अर्थात् एन.ए.पी.ए.एफ., केन्द्र ऊष्मा दर और सहायक खपत आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण के समय निश्चित किये जायेंगे।

39.7 पारगमन (ट्रांजिट) और सार–संभाल (हैंडलिंग) की क्षतियॉः
कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु नियंत्रण अवधि के लिए पारगमन और सार–संभाल (हैंडलिंग) की क्षतियां उस माह के दौरान कोयला प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रेषित देशी कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार रहेंगीः–

(क) निम्नलिखित (ख) को छोड़कर कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रः

(i) गर्तमुख (पिट हैड) उत्पादन केन्द्रों हेतु : 0.20%

(ii) गैर–गर्तमुख (नॉन–पिट हैड) उत्पादन केन्द्रों हेतु : 0.80%

(ख) कोरबा पूर्व ताप विद्युत केन्द्र संकुल (कांप्लेक्स) : 1.15%

40. जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु संचालन के मानदण्ड :

40.1 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से सकल उत्पादन को संयंत्र की अनुमोदित रूपांकन ऊर्जा माना जायेगा;

40.2 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा रूपांकन विद्युत की तुलना में सकल उत्पादन के संबंध में एक और भत्ता (एलाउंस) प्रदान किया जा सकता है, उदाहरणार्थ–असामान्य सिल्ट की समस्या अथवा अन्य संचालन दशाएं, और ज्ञात संयंत्र–सीमाएं।

40.3 किसी नवीन जल विद्युत परियोजना के प्रकरण में विकासकर्ता को प्रचलित केन्द्रीय आयोग के विनियम में प्रगणित सिद्धान्तों के आधार पर एन.ए.पी.ए.एफ. के स्थरीकरण हेतु आयोग में अग्रिम रूप से पहुंचने का विकल्प होगा ।

40.4 सहायक विद्युत खपत (ए.यू.एक्स):

(क) सतह वाले (सरफेस) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र

(i) जनरेटर शाफ्ट पर चढ़े हुए घूमने वाले एक्साइटर्स सहित : 0.7%

(ii) स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली सहित : 1.0%

(ख) भूमिगत जल विद्युत उत्पादन केन्द्र

(i) जनरेटर शाफ्ट पर चढ़े हुए घूमने वाले एक्साइटर्स सहित : 0.9%

(ii) स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली सहित : 1.2%

41. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए क्षमता प्रभार और विद्युत प्रभार की संगणना और भुगतान :

41.1 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थिर लागत को वार्षिक आधार पर इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शिथिल मानदंडों सहित, मानदंडों के आधार पर संगणित किया जाएगा, और क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूल किया जाएगा। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतान योग्य कुल क्षमता प्रभार को, इसके हितग्राहियों द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता में उनसे संबंधित प्रतिशत भाग/आबंटन के अनुसार बांट लिया जाएगा ।

41.2 किसी कैलेण्डर माह में किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को भुगतान योग्य क्षमता प्रभार निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित किए जाएंगे :

CC_1 = $(AFC/12) \times (PAF_1 / NAPAF)$, $(AFC/12)$ की सीमा के अधीन

CC_2 = $(AFC/6) \times (PAF_2 / NAPAF)$, $(AFC/6) – CC_1$ की सीमा के अधीन

CC_3 = $(AFC/4) \times (PAF_3 / NAPAF)$, $(AFC/4) – (CC_1 + CC_2)$ की सीमा के अधीन

CC_4 = $(AFC/3) \times (PAF_4 / NAPAF)$, $(AFC/3) – (CC_1+ CC_2+ CC_3)$ की सीमा के अधीन

CC_5 = $(AFC \times 5/12) \times (PAF_5 / NAPAF)$, $(AFC \times 5/12) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4)$ की सीमा के अधीन

CC_6 = $(AFC/2) \times (PAF_6 / NAPAF)$, $(AFC/2) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5)$ की सीमा के अधीन

CC_7 = $(AFC \times 7/12) \times (PAF_7 / NAPAF)$, $(AFC \times 7/12) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5+ CC_6)$ की सीमा के अधीन

CC_8 = $(AFC \times 2/3) \times (PAF_8 / NAPAF)$, $(AFC \times 2/3) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5+ CC_6+ CC_7)$ की सीमा के अधीन

CC_9 = $(AFC \times 3/4) \times (PAF_9 / NAPAF)$, $(AFC \times 3/4) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5+ CC_6+ CC_7+ CC_8)$ की सीमा के अधीन

CC_{10} = $(AFC \times 5/6) \times (PAF_{10} / NAPAF)$, $(AFC \times 5/6) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5+ CC_6+ CC_7+ CC_8+ CC_9)$ की सीमा के अधीन

CC_{11} = $(AFC \times 11/12) \times (PAF_{11} / NAPAF)$, $(AFC \times 11/12) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5+ CC_6+ CC_7+ CC_8+ CC_9+ CC_{10})$ की सीमा के अधीन

CC_{12} = $(AFC) \times (PAFY / NAPAF)$, $(AFC) – (CC_1+ CC_2+ CC_3+ CC_4+ CC_5+ CC_6+ CC_7+ CC_8+ CC_9+ CC_{10}+ CC_{11})$ की सीमा के अधीन

परन्तु यथा स्थिति किसी उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई के प्रकरण में जो नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बंद है वहां उत्पादन कंपनी को वार्षिक स्थिर लागत भागतः वसूल करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें संचालन और संधारण व्यय तथा ऋण पर ब्याज मात्र सम्मिलित होंगे।

जहां,

AFC = उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, (Annual fixed cost) रूपयों में

NAPAF = मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक,(Normative Annual plant availability factor) प्रतिशत में

PAF_M = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (plant availability factor), प्रतिशत मे

PAFY = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (plant availability factor), प्रतिशत में

जहां CC_1, CC_2, CC_3, CC_4, CC_5, CC_6, CC_7, CC_8, CC_9, CC_{10}, CC_{11} और CC_{12} क्रमशः 1^{st}, 2^{nd}, 3^{rd}, 4^{th}, 5^{th}, 6^{th}, 7^{th}, 8^{th}, 9^{th}, 10^{th}, 11^{th} and 12^{th} वें माह की क्षमता हैं।

41.3 माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक और वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसरण में की जाएगी :–

$$PAFM \text{ or } PAFY = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DC_i / \{N \times IC \times (100 - AUX)\}\%$$

जहां,

AUX = से तात्पर्य है, मानकीकृत सहायक ऊर्जा उपभोग, जो सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हो, और

DCi= = से तात्पर्य है, उस अवधि के **i** वें दिन के लिए (मेगावाट में) औसत घोषित क्षमता (एक्सबस मेगावाट में) अर्थात यथास्थिति, वह माह अथवा वर्ष, जिसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिन के पूरा होने के पश्चात् प्रमाणित किया जाए ।

IC = से तात्पर्य है, उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = से तात्पर्य है, उस अवधि अर्थात यथास्थिति माह अथवा वर्ष के दौरान दिनों की संख्या।

टीप– डी.सी.आई. और आई.सी. में ऐसी उत्पादन इकाइयों की क्षमता सम्मिलित नहीं रहेगी, जिन्हें वाणिज्यिक संचालन में घोषित नहीं किया गया है। संबंधित अवधि में जहां आई.सी. में कोई परिवर्तन होता है वहां इसका औसत मूल्य (एवरेज वेल्यू) लिया जाएगा।

41.4 जहां किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ईंधन की कमी हो जाती है वहां उत्पादन कंपनी अधिकतम मांग के घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट का प्रदाय प्रस्तावित कर सकती है, जिससे ऑफ पीक घण्टों के दौरान ईंधन की बचत हो सके। उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र के लिए, हितग्राहियों के परामर्श से, एक व्यावहारिक दिवस पूर्व, अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे इसकी मेगावाट और विद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में औसत घोषित क्षमता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची में अधिकतम पीक अवर एक्स पॉवर प्लाण्ट मेगावाट के समतुल्य लिया जाएगा।

41.5 उत्पादन केन्द्र अथवा उसके किसी इकाई को विनियम 39.2 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र भार कारक से संगत अनुसूचित उत्पादन एक्सबस ऊर्जा की तुलना में एक्सबस अनुसूचित विद्युत हेतु अतिरिक्त प्रभार का भुगतान 50 पैसे/kWh की एकसमान दर से किया जाएगा।

41.6 ऊर्जा प्रभार में ईंधन की लागत (प्राथमिक ईंधन के साथ–साथ द्वितीयक ईंधन भी) सम्मिलित होगी, और प्रत्येक हितग्राही द्वारा उसे एक्स पॉवर प्लाण्ट आधार पर, उस माह की विद्युत प्रभार दर पर उस कैलेण्डर माह के दौरान कुल प्रदाय हेतु अनुसूचित विद्युत के लिए भुगतान योग्य होगी। उत्पादन कंपनी को किसी माह के लिए कुल भुगतान योग्य ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होंगेः–

(ऊर्जा प्रभार दर, प्रति kWh रूपयों में)×(माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्सबस), kWh में) विद्युत प्रभार की दर प्रति kWh रूपयों में एक्स पॉवर प्लाण्ट आधार पर कोयला आधारित केन्द्रों के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुरूप 3 दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगी :–

$$ECR=[\{(GHR - SFC \times CVSF) \times LPPF / CVPF\} + SFC \times LPSFi] \times 100 / (100 - AUX)$$

जहां,

AUX	=	मानदंडीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में
CVPF	=	जलाए गए प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर, यथाप्रयोज्य
CVSF	=	द्वितियक ईंधन का कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में
ECR	=	ऊर्जा प्रभार दर, प्रति बाहर भेजी गई किलोवाट अव्हर प्रति रूपयों में
GHR	=	सकल केन्द्र ऊष्मा दर, (ग्रास स्टेशन हिट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में
LPPF	=	प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, उस माह के दौरान प्रति किलोग्राम, यथाप्रयोज्य प्रति लीटर या प्रति मानक घनमीटर, रूपयों में
SFC	=	विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में
LPSFi	=	द्वितीयक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य रूपये प्रति मिलीलीटर में प्रारंभिक रूप से विचार में लिया गया ।

41.7 यद्यपि द्वितीयक ईंधन का मूल्य परिवर्तनीय लागत (वेरिएबल कॉस्ट) का एक भाग होगा तथापि यह मूल्य समायोजन सूत्र (व्ही.सी.ए.) का भाग नहीं होगा। द्वितीयक ईंधन तेल के मूल्य के कारण पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान वास्तविकीकरण के समय रखा जाएगा।

41.8 प्रारंभतः उत्पादन कंपनी द्वारा द्वितीयक ईंधन तेल पर व्यय किया गया प्राप्ति मूल्य पूर्ववर्ती 3 माह के लिए वास्तविक भारांकित औसत मूल्य के आधार पर लिया जाएगा और पूर्ववर्ती 3 माह के लिए प्राप्ति मूल्यों के अभाव में, उत्पादन केन्द्र के लिए वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व नवीनतम प्राप्ति मूल्यों को लिया जाएगा।

41.9 द्वितीयक ईंधन तेल के व्यय, वास्तविकीकरण के समय टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में ईंधन मूल्य (फ्यूएल कॉस्ट) समायोजन के अधीन होंगे ।

41.10 माह के लिए प्राप्त ईंधन के मूल्य में ईंधन का वह मूल्य सम्मिलित होगा जो उस श्रेणी और गुणवत्ता के ईंधन के समकक्ष होगा जिसमें रॉयल्टी, कर और यथा प्रयोज्य ड्यूटियां और कनवेयर/रेल/सड़क या किसी अन्य माध्यम से परिवहन की लागत सम्मिलित होगी, और ऊर्जा प्रभार की संगणना की दृष्टि से, और कोयले की प्रकरण में इसे विनियम 39.7 में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय परिवहन और संभाल की क्षतियों पर विचार करने के उपरांत निकाला जायेगा।

41.11 प्राथमिक ईंधन मूल्य में द्वैमासिक वृद्धि की वसूली इन विनियमों के विनियम 67 में दर्शाएं ईंधन लागत समायोजन प्रणाली के अनुसार की जाएगी

42. जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की संगणना और भुगतान–

42.1 जल विद्युत उत्पादन संयंत्र हेतु टैरिफ, एकल भाग टैरिफ होगा;

42.2 जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को अवश्य चलने वाले (मस्ट रन) विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में माना जावेगा।

43. **सी.डी.एम. लाभों की भागीदारीः**

43.1 अनुमोदित सी.डी.एम परियोजना से प्राप्त कार्बन साख (क्रेडिट) को निम्नांकित रीति से बांटा जायेगा, नामतः–

(क) सी.डी.एम. की ओर सकल प्राप्तियों का शतप्रतिशत परियोजना विकासकर्ता द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन में आने की दिनांक से एक वर्ष में अपने पास रखा जायेगा;

(ख) दूसरे वर्ष में हितग्राहियों का भाग 10 प्रतिशत होगा जिसे क्रमशः 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से तब तक बढ़ाया जायेगा जब तक यह 50 प्रतिशत नहीं पहुंच जाता, इसके उपरांत ऐसी प्राप्तियों को उत्पादन कम्पनी और हितग्राहियों के बीच समान अनुपात में बांट लिया जायेगा।

44. **विचलन प्रभार :**

उत्पादन केन्द्रो के लिए, कुल वास्तविक अन्तःक्षेपण और अनुसूचित अन्तःक्षेपण, तथा हितग्राहियों के लिए कुल वास्तविक निकासी और अनुसूचित कुल निकासी के मध्य विचलन को उनके लिए क्रमशः विचलन माना जाएगा और ऐसे विचलनों हेतु प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन सेटलमेंट प्रणाली और संबंधित विषय) विनियम, 2014 समय–समय पर यथा संशोधित अथवा उनकी परवर्ती पुनः अधिनियमितियों से तब तक शासित होंगे जब तक इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक विनियम जारी नहीं कर दिये जाते;

परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित हेतु विचलन प्रभारों के मद्‌दे लाभों और हानियों को इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार वास्तविकीकरण के समय समायोजित किया जाएगा।

अध्याय–5
पारेषण

45. **टैरिफ के घटक–**

45.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ के घटक हेतु वार्षिक पारेषण प्रभारः
नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ के घटक हेतु वार्षिक पारेषण प्रभारों में नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम की सकल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु प्रावधान रहेगा, जिसमें आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार गैर टैरिफ आय और अन्य व्यापार से होने वाली आय को कम कर दिया जायेगा;

45.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभारों को आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय–2 के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु आवेदन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

46. **पूंजी निवेष योजना–**
पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश की एक योजना प्रस्तुत करेगा।

47. राज्यांतरिक पारेषण नेटवर्क के लिए वार्षिक प्रभारों की संगणना–

47.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सकल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे, नामतः

(क) समता पर प्रतिफल;

(ख) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(ग) मूल्य ह्रास;

(घ) संचालन और संधारण के व्यय;

(ङ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(च) पेंशन कोष में अंशदान;

घटाएंः

(छ) गैर टैरिफ आय

टीपः

1. वार्षिक निश्चित प्रभार प्राप्त करने के लिए विनियम 47.7 में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार उपर्युक्त (क से ङ) के जोड़ में से, उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, (Annual fixed cost) प्राप्त करने के लिए घटा दिये जायेंगे;
2. वैधानिक कर और शुल्क प्रतिपूर्ति आधार पर, वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे।

47.2 समता पर प्रतिफल–

इन विनियमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को समता पर प्रतिफल की अनुमति प्रदान की जायेगी।

47.3 ऋण पूंजी पर ब्याज–

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार, इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अनुमत किये जायेंगे।

47.4 मूल्य ह्रास –

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार निश्चित आस्तियों के मूल्य पर अवमूल्यन को वसूल करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

47.5 संचालन और संधारण व्ययः

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम हेतु संचालन और संधारण व्ययों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

(i) कर्मचारियों पर व्यय;

(ii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

(iii) मरम्मत और संधारण व्यय।

(ख) आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के लिए संचालन और संधारण व्ययों के प्रत्येक घटक नामतः, कर्मचारी व्यय, मरम्मत और संधारण व्यय तथा प्रशासनिक और सामान्य व्यय हेतु पृथक से प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्ट्री) तैयार की जाएगी।

कर्मचारी लागतः

(ग) पेंशन कोष अंशदान, वेतनमान पुनरीक्षण की बकाया राशि के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य व्यय को छोड़कर कर्मचारी लागत, अधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक कर्मचारी व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाली जाएगी जिसमें आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए पेंशन कोष अंशदान, वेतन पुनरीक्षण बकाया के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य ऐसे व्यय सम्मिलित नहीं होंगे जो आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुरंत पूर्व के पिछले पांच (5) वर्षो के लेखाओं में उपलब्ध हो।

(घ) सामान्यीकरण का कार्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में वर्षानुवर्षी आधार पर विगत पांच वर्ष की औसत बढ़त को मानते हुए किया जाएगा तब वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान यमूल्य का औसत, वर्ष 2015–16 के आधार वर्ष मूल्य को प्रक्षेपित (प्रोजेक्ट) करने में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार, उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उस वर्ष के दौरान हुई वास्तविक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण (एरियर्स को सम्मिलित करते हुए) और पेंशन कोष अंशदान के प्रभाव को लेखों के वास्तविकीकरण के दौरान वास्तविक रूप से, आयोग की सतर्क जांच और ऐसे किसी अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना उचित समझे, के अधीन अनुमत किया जाएगा।

प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय

(ड.) आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रशासनिक और सामान्य (जल प्रभारों को छोड़कर) व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय को वास्तविक प्रशासनिक और सामान्य व्ययों (जल प्रभारों को छोड़कर) और मरम्मत एवं संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जाएगा जो आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए आधार वर्ष 2015–16 के ठीक पूर्ववर्ती पांच (05) वर्षो के लेखों में क्रमशः उपलब्ध हो।

(च) वास्तविकीकरण का कार्य वर्षानुवर्षी आधार पर पिछले पांच (05) वर्षो की थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को लागू करते हुए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय 2014–15 हेतु सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग, तब वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आधार वर्ष मूल्य प्रेक्षेपित करने के लिए किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय, प्रशासनिक और सामान्य व्ययों तथा संचालन और संधारण व्ययों पर विचार उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(छ) नवीन पारेषण लाइनों / उपकेन्द्रों, जो 31मार्च 2016 के उपरांत संचालन में आए है, के लिए अतिरिक्त संचालन और संधारण व्ययों की अनुमति, आयोग द्वारा परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए वास्तविकीकरण प्रक्रिया के समय दी जाएगी।

47.6 **कार्यशील पूंजी पर ब्याज–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज की अनुमति, इन विनियमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार दी जायेगी।

47.7 **गैर टैरिफ आय–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुषांगिक कोई आय, जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से– जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, मुक्त उपयोग प्रभार, समानांतर संचालन, शास्तियां (पेनाल्टी) और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ, विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय को छोड़कर सम्मिलित हैं, गैर टैरिफ आय निर्मित करेगी।

वितरण व्हीलिंग व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ आय की राशि, आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण वायर व्यापार के व्हीलिंग प्रभारों को निर्धारित करते समय, सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को सकल राजस्व आवश्यकता हेतु अपने आवेदन के साथ गैर टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

48. **राज्यांतरिक पारेषण नेटवर्क पर प्रभारों की भागीदारी–**

पारेषण प्रणाली की स्थिर लागत को, इन विनियमों में निहित मानदण्डों के अनुरूप वार्षिक आधार पर संगणित किया जायेगा, और हितग्राहियों से तथा मुक्त उपयोग विनियम (ओपन एक्सेस रेगुलेशन) में विनिर्दिष्ट पद्धति से, हितग्राहियों से मासिक आधार पर वसूल किया जायेगा।

49. **उपकेन्द्र में सहायक विद्युत खपत–**

उपकेन्द्र में वातानुकुलन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य उपकरणों में खपत के उद्‌देश्य से सहायक विद्युत उपभोग हेतु प्रभार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा वहन किये जायेंगे, और उन्हें संचालन और संधारण व्ययों में सम्मिलित किया जायेगा।

50. **पारेषण हानि :**

50.1 पारेषण हानि के स्तरों की गणना केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और अन्य समस्त ऊर्जा स्रोतों द्वारा पारेषण प्रणाली में विभिन्न इंटरफेस बिन्दुओं पर डाली गई सकल ऊर्जा के योग (X) और समस्त ई.एच.वी. उपकेन्द्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 33 के.व्ही. पर पारेषित ऊर्जा के योग तथा पारेषण प्रणाली से संयोजित ओपन एक्सेस उपभोक्ता(ओं) को पारेषित की गई, कुल विद्युत (Y) के अंतर के रूप में परिगणित किया जाएगा। प्रतिशत में व्यक्त की गई पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली में डाली गई विद्युत पारेषण की हानि का प्रतिशत निम्नानुसार होगीः–

$$\text{पारेषण हानि (\%)} = \frac{(x-y) \times 100}{x}$$

51 **पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रोत्साहन/दण्ड :**

किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर किसी वर्ष के दौरान पारेषण प्रणाली की उपलब्धता, लक्ष्य उपलब्धता से विचलन की दशा में प्रोत्साहन/दण्ड यथा स्थिति भुगतान योग्य/वसूलनीय होगा, जिसे आयोग द्वारा अगली नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्याय–6
वितरण व्हीलिंग व्यापार

52. **प्रयोज्यता–**

इस अध्याय में सम्मिलित विनियम किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तारों के उपयोग हेतु भुगतान योग्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होंगे।

53 **वितरण व्हीलिंग व्यापार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता के घटकः**

53.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण व्हींलिंग व्यापार के लिए व्हीलिंग प्रभारों में, इन विनियम के विनियम 64 में यथा प्रावधानित सकल राजस्व आवश्यकता की वसूली का प्रावधान रहेगा, और उसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

(क) संचालन और संधारण के व्यय;

(ख) अवमूल्यन;

(ग) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(ङ) समता पर प्रतिफल;

(च) पेंशन और ग्रेच्युटी कोष अंशदान

घटाएंः

(छ) गैर टैरिफ आय

(ज) अन्य व्यापार से आय, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक

टीपः

1. वार्षिक निश्चित प्रभार प्राप्त करने के लिए विनियम 57.7 में यथाविनिर्दिष्ट गैर टैरिफ आय उपर्युक्त **(क से च)** में से घटा दिये जायेंगे;

2. वैधानिक कर और शुल्क प्रतिपूर्ति आधार पर, वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे;
परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा इन विनियिमों के अध्याय–2 के अनुरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु किये गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे;
परन्तु, यह और भी कि वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता से वसूली के उद्देश्य से ऐसे व्हीलिंग प्रभार रूपये प्रति किलोवॉट घंटा के मूल्यांककों, अथवा ऐसे अन्य मूल्यांककों (डिनॉमिनेशन) में होंगे, जैसे आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये जायें।

54. **आबंटन मैट्रिक्स**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने लेखों (खातों) को व्हीलिंग व्यापार और फुटकर प्रदाय व्यापार से पृथक रखेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा वितरण वायर व्यापार के पृथक किये हुए खातों के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे;

परन्तु, जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्हीलिंग व्यापार और फुटकर व्यापार के खातों को पृथक से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, वहां आयोग निम्नलिखित रीति से आबंटन मैट्रिक्स निर्धारित करेगाः

(क) अनुज्ञप्तिधारी इन दोनों व्यापारों के, नियंत्रण अवधि हेतु मूल्यों और राजस्वों के बंटवारे को दर्शाते हुए एक ''आबंटन मैट्रिक्स'' तैयार करेगा। इस वितरण का समर्थन, ऐसे आबंटनों हेतु उपयोग में ली गई पद्धति के स्पष्टीकरण द्वारा किया जायेगा।

(ख) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत ''आबंटन मैट्रिक्स'' की समीक्षा करेगा, और सतर्क जॉच के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ''आबंटन मैट्रिक्स'' को अंतिम रूप देगा।

55. **पूंजी निवेश योजना**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

56. **लागत पूंजी**–

लागत पूंजी की अनुमति इन विनियिमों के अध्याय–3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी।

57. **सकल राजस्व आवश्यकता की गणनाः**

57.1 **समता पर प्रतिफल**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वितरण व्हीलिंग व्यापार के लिए समता पर प्रतिफल की अनुमति इन विनियिमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

57.2 **ऋण पूंजी पर ब्याज**–

ऋण पूंजी पर ब्याज की संगणना इन विनियिमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

57.3 **मूल्य ह्रास** –

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के अवमूल्यन की संगणना इन विनियिमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

57.4 **संचालन और संधारण व्ययः**

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु संचालन और संधारण व्यय में निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

(i) कर्मचारियों पर व्यय;

(ii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

(iii) मरम्मत और संधारण।

(ख) आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के लिए संचालन और संधारण व्ययों के प्रत्येक घटक नामतः, कर्मचारी व्यय, मरम्मत और संधारण व्यय तथा प्रशासनिक और सामान्य व्यय हेतु पृथक से प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्ट्री) तैयार की जाएगी।

कर्मचारी लागत :

(ग) पेंशन कोष अंशदान, वेतनमान पुनरीक्षण की बकाया राशि के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य व्यय को छोड़कर कर्मचारी लागत, अधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक कर्मचारी व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाली जाएगी जिसमें आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए पेंशन कोष अंशदान, वेतन

पुनरीक्षण बकाया के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य ऐसे व्यय सम्मिलित नहीं होंगे जो आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुरंत पूर्व के पिछले पांच (5) वर्षो के लेखाओं में उपलब्ध हो। पिछले पांच (5) वर्षो के सामान्यीकृत औसत को निर्धारित करते समय गैर आवर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय भी उसमें से निकाल दिया जाएगा।

(घ) सामान्यीकरण का कार्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में वर्षानुवर्षी आधार पर विगत पांच वर्ष की औसत बढ़त को लागू करते हुए किया जाएगा। तब वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत, वर्ष 2015–16 के आधार वर्ष मूल्य को प्रक्षेपित (प्रोजेक्ट) करने में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार, उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उस वर्ष के दौरान हुई वास्तविक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण (एरियर्स को सम्मिलित करते हुए) और पेंशन कोष अंशदान के प्रभाव को लेखों के वास्तविकीकरण के दौरान वास्तविक रूप से, आयोग की सतर्क जांच और ऐसे किसी अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना उचित समझे, के अधीन अनुमत किया जाएगा।

प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय

(ड.) आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय को वास्तविक प्रशासनिक और सामान्य व्ययों और मरम्मत एवं संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जाएगा जो आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए आधार वर्ष 2015–16 के ठीक पूर्ववर्ती पांच (05) वर्षो के लेखों में क्रमशः उपलब्ध हो। पिछले पांच (5) वर्षो के सामान्यीकृत औसत का निर्धारण करते समय गैर आवर्ती प्रकृति के किसी व्यय को छोड़ दिया जाएगा।

(च) वास्तविकीकरण का कार्य वर्षानुवर्षी आधार पर पिछले पांच (5) वर्षो की थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को लागू करते हुए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय 2014–15 हेतु सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग, तब वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आधार वर्ष मूल्य प्रेक्षेपित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य को, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर में से परिवर्धित किया जाएगा जिससे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रशासनिक और सामान्य व्यय तथा मरम्मत और संधारण व्ययों को अनुमानित किया जा सके।

वास्तविकीकरण के समय, प्रशासनिक और सामान्य व्ययों तथा संचालन और संधारण व्ययों पर विचार उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(छ) 31 मार्च, 2016 के बाद शुरू हुए नवीन लाईनों/उपकेन्द्रों के लिए अतिरिक्त संचालन और संधारण व्ययों की अनुमति आयोग द्वारा सतर्क जाँच के अधीन, वास्तविकीकरण करते समय दी जायेगी।

57.5 **कार्यशील पूंजी पर ब्याज**–

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार दी जायेगी।

57.6 **आय पर कर–**

आय पर कर की अनुमति इन विनियमों के विनियम 26 के अनुसार दी जायेगी। 57.7 **गैर टैरिफ आय–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुषांगिक कोई आय, जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से– जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, मुक्त उपयोग प्रभार, समानांतर संचालन, शास्तियां (पेनाल्टी) और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ, विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय को छोड़कर सम्मिलित हैं, गैर टैरिफ आय निर्मित करेगी।

वितरण व्हीलिंग व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ आय की राशि, आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण वायर व्यापार के व्हीलिंग प्रभारों को निर्धारित करते समय, सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को सकल राजस्व आवश्यकता हेतु अपने आवेदन के साथ गैर टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

58. **अन्य व्यापार से आयः**

जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यापार (विद्युत के व्यापार को छोड़कर) में लगा हुआ है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण वायर व्यापार के व्हीलिंग प्रभारों का निर्धारण करने में ऐसी राशि जो ऐसे अन्य व्यापार से प्राप्त राजस्व की दो तिहाई के समतुल्य हो सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दी जायेगी।

59 **व्हीलिंग प्रभारों का निर्धारण–**

आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण व्हीलिंग व्यापार के व्हीलिंग प्रभार को अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित अपने आदेश में निर्दिष्ट करेगा। इन विनियमों में अन्य किसी बात के होते हुए भी मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य व्हीलिंग प्रभार सुसंगत वोल्टेज स्तर पर संगणित और लागू किये जायेंगे।

परन्तु, किसी मुक्त उपयोग उपभोक्ता (उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले फुटकर उपभोक्ताओं के अलावा) द्वारा भुगतान योग्य व्हीलिंग प्रभार, मुक्त उपयोग विनियम से शासित होंगे।

परन्तु, यह और भी कि ऐसे मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रभार इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसरण में फुटकर प्रदाय व्यापार की सकल राजस्व आवश्यकता को कम करने में उपयोग में लिए जायेंगे।

60. **व्हीलिंग हानियॉ–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, अनुमोदित स्तर पर वितरण प्रणाली के संचालन से उद्भूत वोल्टेजवार व्हीलिंग हानियों को, वस्तु रूप में वसूलने की अनुमति दी जायेगी। 33 के.व्ही. और निचले वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग हानि 6% मान्य होगी।

अध्याय–7
फुटकर प्रदाय व्यापार

61. **प्रयोज्यताः**

ये विनियम किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विद्युत का फुटकर प्रदाय करने हेतु टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

62. **टैरिफ के घटकः**

62.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के फुटकर प्रदाय व्यापार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

(क) विद्युत क्रय मूल्य;

(ख) पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र–प्रभार;

(ग) संचालन और संधारण व्यय;

(घ) अवमूल्यन;

(ङ) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(च) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(छ) समता पर प्रतिफल;

(ज) अवसूलनीय ऋणों हेतु प्रावधान;

(झ) इन विनियमों के अध्याय–6 के अधीन यथा निर्धारित वितरण व्हीलिंग व्यापार हेतु सकल राजस्व; आवश्यकता

<u>घटाएंः</u>

(ञ) गैर टैरिफ आय;

(ट) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्य व्यापार से आय;

(ठ) मुक्त उपयोग / व्हीलिंग प्रभारों से राजस्व;

(ड) अतिरिक्त विद्युत के विक्रय (फुटकर उपभोक्ताओं के अलावा) से राजस्व।

परन्तु, क्रॉस–सब्सिडी प्रभार के खाते में राजस्व की प्राप्ति को केवल अंकेक्षित / अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर किये जाने वाले वास्तविकीकरण के समय ही विचार में लिया जायेगा।

62.2 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फुटकर प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा यथास्थिति पृथककृत लेखों या आबंटन मैट्रिक्स के आधार पर इन विनियमों के विनियम 54 के अनुसरण में किया जायेगा।

63. **पूंजी निवेश योजना–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत की जायेगी।

64. **लागत पूंजी–**

लागत पूंजी की अनुमति, इन विनियमों के अध्याय–3 में उपबंधित किये अनुसार दी जायेगी।

65. विक्रय के पूर्वानुमानः

65.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपने प्रदाय क्षेत्र की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों के लिए एक साथ, प्रतिबंधित मॉग (मेगावॉट में) और अप्रतिबंधित मॉग (मेगावॉट में) और विक्रय का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जायेगा। विद्युत के श्रेणीवार विक्रय के पूर्वानुमान सामान्य मूल्यांकन और सी.ए.जी.आर. अथवा अन्य किसी परिपक्व विधि के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

65.2 बिना मीटर उपभोक्ता श्रेणियों के लिए, यदि कोई, हों विक्रय पूर्वानुमान आयोग की सतर्क जॉच/प्राक्कलन के अधीन रहेंगे।

65.3 आयोग द्वारा पूर्वानुमानों की युक्तियुक्तता का परीक्षण उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोग के प्रतिमान, पूर्ववर्ती वर्षो में विद्युत की हानियों और मॉग और आगामी वर्ष में अपेक्षित वृद्धि और ऐसे अन्य कारक जिसे आयोग सुसंगत समझे के आधार पर करेगा और जैसा उपयुक्त समझा जाये वैसे रूपांतरों सहित विक्रय पूर्वानुमान का अनुमोदन करेगा।

66. सकल राजस्व आवष्यकता की गणनाः

66.1 समता पर प्रतिफल–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अनुसार समता पर प्रतिफल की अनुमति प्रदान की जायेगी।

66.2 ऋण पूंजी पर ब्याज–

ऋण पूंजी पर ब्याज की संगणना इन विनियमों के विनियम 23 के अनुसरण में की जायेगी।

66.3 मूल्य ह्रास–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के मूल्य ह्रास की संगणना, इन विनियमों के विनियम 24 में विहित रीति से की जायेगी।

66.4 विद्युत उत्पादन/विद्युत क्रय की लागतः

66.4.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन केन्द्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, केप्टिव उत्पादन संयंत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अन्यों से प्राप्त विद्युत सहित समस्त स्रोतों से प्राप्त विद्युत के मूल्य को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा यथा अनुमोदित वसूल करने की अनुमति दी जायेगी।

66.4.2 अनुमोदित फुटकर विक्रय स्तर को पारेषण एवं वितरण हानि के मानक स्तर जैसा कि अनुमोदित हानि प्रक्षेपवक्र में दिया गया हो, द्वारा वर्धित (ग्रासड अप) किया जायेगा, जिससे फुटकर उपभोक्ताओं को विक्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा ज्ञात की जा सके। आगे यह भी कि ग्रिड से कम ली गई/आधिक्य में ली गई विद्युत के विक्रय से अनुमानित राजस्व, यदि कोई हो, को सकल राजस्व आवश्यकता में शुद्ध विद्युत क्रय लागत के पूर्वानुमान हेतु सकल विद्युत क्रय में से घटा दी जायेगी।

66.4.3 परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के समय विद्युत क्रय लागत निकालने के लिए विचलन प्रभारों को विचार में लिया जाएगा और अतिरिक्त विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व को पृथक से लेखांकित किया जाएगा।

66.4.4 दीर्घ अवधि स्रोतों से विद्युत क्रय में त्रैमासिक वृद्धि आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से ली गई याचिका क्रमांक 26/2012, समय–समय पर यथासंशोधित/रूपांतरित, पर अपने आदेश में वर्णित परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रणाली के अनुसार होगी ।

66.5 **पारेषण प्रभार और राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार :**

66.5.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु भुगतान योग्य पारेषण प्रभारों को वसूलने की अनुमति इन विनियमों के अध्याय–5 के अधीन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित टैरिफ के अनुसरण में दी जाएगी।

66.5.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित स्तर तक (इन) व्ययों को वसूल करने की अनुमति भी रहेगी :

(क) हस्तक्षेपीय (इंटरवीनिंग) पारेषण सुविधाओं हेतु प्रभार;

(ख) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) की वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार;

(ग) केंद्रीय़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसरण में अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु प्रभार;

(घ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सम्यक् आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भुगतान योग्य शुल्क और प्रभार ।

66.6 **संचालन और संधारण व्यय** :

फुटकर प्रदाय व्यापार हेतु संचालन और संधारण व्यय इन विनियमों के विनियम 57.4 के अनुसरण में अनुमत किए जाएंगे ।

66.7 **कार्यषील पूंजी पर ब्याज** :

कार्यशील पूंजी पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसरण में अनुमत किए जाएंगे ।

66.8 **अवसूलनीय और शंकास्पद ऋण :**

इस हेतु फुटकर प्रदाय व्यापार का अधिकतम 1 प्रतिशत प्रावधान अनुमत किया जाएगा। यह नियंत्रण अवधि के अंत में सकल आधार पर वास्तविकीकरण के अधीन और आयोग द्वारा की गई सतर्क जांच के अधीन रहेगा ।

67. **ईंधन प्रभार और परिवर्तनीय लागत समायोजन** (VCA)

67.1 परिवर्तनीय लागत समायोजन की राशि का निर्धारण, केवल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के कोयला आधारित केन्द्रों और केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत क्रय के सभी दीर्घ अवधि अनुबंधों के लिए होगा। परिवर्तनीय लागत समायोजन की राशि निर्धारित करने में लघु अवधि विद्युत क्रय, नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत यू.आई. भुगतान योग्य/प्राप्तव्य, राज्य से बाहर विद्युत का विक्रय (यदि का हो) आदि को छोड़ दिया जाएगा। इन स्रोतों से विद्युत क्रय की लागत के विरूद्ध टैरिफ ओदश में किए गए अनुमानों का ध्यान वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अवसर पर वास्तविकीकरण के समय अथवा अन्तिम वास्तविकीकरण के समय रखा जाएगा।

67.2 परिवर्तनीय लागत समायोजन की राशि, द्वैमासिक आधार पर समायोजित की जाएगी और इसका सूत्र निम्नानुसार होगा

परिवर्तनीय लागत समायोजन सूत्र :–

सकल VCA (रूपयों में) = CHFC (रूपयों में) + CHPP (रूपयों में)

अनुमति योग्य VCA (रूपयों में) = सकल VCA (रूपयों में) x Q_{RS}/ Q_{pp}

अनुमति योग्य VCA (रूपयों में / kWh) = अनुमति योग्य VCA (रूपयों में / [Q_{RS} x (1- L)]

इस प्रकार,

अनुमति योग्य VCA (रूपयों में / kWh) = सकल VCA (रूपयों में) / [Q_{pp} x (1-L)]

जहाँ –

CHFC: प्राथमिक ईंधन लागत में परिवर्तन है इसे केवल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के केटीपीएस, एचटीपीएस, कोरबा पश्चिम, कोरबा पश्चिम विस्तार (1x500) और डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केन्द्रों के लिए संगणित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के नवीन विद्युत केन्द्रों जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के लिए प्रारंभ किया गया है और जो दृढ़ विद्युत प्रदाय कर रहे है, हेतु इस आदेश में प्रयोज्य संगणना की प्रविधि वहीं रहेगी, तथापि इसके मानदण्ड सुसंगत टैरिफ आदेश के अनुसार होंगे।

CHPP: सी.जी.एस. से क्रय विद्युत की लागत में परिवर्तन है इसकी संगणना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को विद्युत प्रदाय करने वाले सभी सी.जी.एस. से की जाएगी और इसमें इन केन्द्रों की स्थिर के साथ–साथ परिवर्तनीय लागत में हुए परिवर्तन सम्मिलित रहेंगे।

Q_{pp} =यू.आई. को छोड़कर समस्त स्रोतों से क्रय की गई विद्युत की कुल मात्रा, संलग्न परिशिष्ट–2 के अनुसार संगणित

Q_{RS} = राज्य के खुदरा उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु क्रय विद्युत की मात्रा, संलग्न परिशिष्ट–2 के अनुसार संगणित

L =सुसंगत टैरिफ आदेश में अनुमोदित अनुसार उस वर्ष के लिए पारेषण और वितरण हानियों का मानदण्डीय स्तर

टीप : पी.जी.सी.आई.एल. का औसत हानि स्तर, जैसा कि प्रचलित खुदरा टैरिफ आदेश में लिया गया है, सी.जी.एस. से राज्य परिधि पर विद्युत क्रय हेतु विचार में लिया जाएगा।

[1]{67.3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा अपने प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रत्येक माह हेतु पृथकतः परिगणित किया जाएगा और द्वैमासिक राशि का निर्धारण हेतु इसे जोड़ दिया जाएगा। किसी माह के लिए CHFC की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

CHFC, (रूपयों में) = माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस)X मासिक ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन,

मासिक ऊर्जा प्रभार में अंतर = ECR (T) - ECR (M)

जहां,

ECR (T) = मासिक ऊर्जा प्रभार, टैरिफ ओदश में उस विशिष्ट संयंत्र के लिए विनिर्दिष्ट

ECR (M) = विशिष्ट संयंत्र हेतु विशिष्ट माह के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित ECR

ECR (M) ¾ {(GHR – SFC x CVSF) x LPPF / CVPF } x 100 / (100 – AUX)

जहां,

AUX = मानदंडीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = जलाए गए प्राथमिक ईंधन का वास्तविक भारांकित औसत सकल कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में, टैरिफ आदेश में यथा विचारित

GHR = सकल केन्द्र ऊष्मा दर, (ग्रास स्टेशन हिट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में टैरिफ आदेश में यथा अनुमत

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, प्रति किलोग्राम, रूपयों में

SFC = मानदण्डीय विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित मानदण्डीय जी.एस.एच.आर., मानदण्डीय सहायक खपत, मानदण्डीय विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, कोयले की वास्तविक भारांकित औसत जी.सी.व्ही. और वास्तविक प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, के आधार पर ई.सी.आर. तैयार करेगा। }[1]

67.4 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा किसी माह के लिए सी.एच.पी.पी. की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

CHPP (रूपयो में) = उस माह में समस्त सी.जी.एस. द्वारा अनुसूचित ऊर्जा [kwh X छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा अनुमत देयकों के अनुसार ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा हेतु प्रति यूनिट भारांकित औसत मासिक दर, घटाएं (–) उस वर्ष के लिए टैरिफ आदेश में यथा विचारित विद्युत क्रय की भारांकित दर के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा अनुमत ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा के लिए सी.जी.एस. से क्रय की गई विद्युत]
सी.जी.एस. से क्रय विद्युत की लागत में परिवर्तन की संगणना परिशिष्ट–III में दिये अनुसार की जाएगी।

67.5 प्राथमिक ईंधन लागत में परिवर्तन और सी.जी.एस. से क्रय विद्युत की लागत में परिवर्तन का योग, रूपयों में परिवर्तनीय लागत समायोजन की राशि है और यह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित से प्राप्त अनुसूचित यूनिट (x-bus) तथा सी.जी.एस. से प्राप्त अनुसूचित मात्रा की इकाईयों के योग से संगत होगा। परिवर्तनीय लागत समायोजन की अनुमोदित राशि की वसूली उपभोक्ताओं से द्वैमासिक आधार पर परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार, रूपए प्रति किलोवाट अव्हर के रूप में इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार उनके नियमित मासिक देयकों में सम्मिलित करके, की जाएगी। परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार की संगणना संलग्न अनुसूची–4 के अनुसार की जाएगी।

67.6 परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार, पैसे प्रति यूनिट (kwh) के रूप में होगा जिसे निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा। इस उद्देश्य से 0.5 तक के भाग को छोड़ दिया जाएगा और 0.5 से अधिक भाग को अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा। इस प्रभार को प्रत्येक उपभोक्ता के मौजूदा टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक में यथा स्थिति जोड़ा अथवा घटा दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार समान रूप से प्रयोज्य होगा। तथापि, यह पैरा 67.11 और पैरा 67.12 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहेगा।

1. विनियम क्रमांक 76 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित

67.7 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा CHFC की राशि और इसकी गणना मासिक ECR के निर्धारण में प्रयुक्त विभिन्न मानदण्डीय प्राचलों (पैरामीटर) के सुसंगत अनुच्छेदों/मूल्यों/राशियों के सुसंगत संदर्भ सहित जिसमें NPPF के लिए प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य सम्मिलित होगा उस द्वैमासिक अवधि जिसके लिए परिवर्तनीय लागत समायोजन का निर्धारण किय जाना है के बाद वाले माह की 30वीं दिनांक तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को सूचित की जाएगी। इस प्रकार यदि अप्रैल 2016 और मई 2016 की द्वैमासिक अवधि के लिए CHFC का निर्धारण किया जाना है तो ऐसे CHFC की सूचना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को 30 जून 2016 तक संसूचित कर दी जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा CHPP की राशि अपने स्तर पर भी निकाल ली जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार (पैसे/kwh) की राशि निकाली जाएगी और इस राशि की सूचना तथा उसके निर्धारण की रीति, मई 2016 में समाप्त द्वैमासिकी हेतु 31 जुलाई 2016 को, तथा जुलाई 2016 में समाप्त द्वैमासिकी के लिए 30 सितम्बर 2016 तक और आगे भी इसी प्रकार आयोग को सूचित की जाया करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा परिवर्तनीय समायोजन लागत संगणना का सार संक्षेप राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। विशिष्ट द्वैमासिक अवधि के लिए परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार, पैसे/kwh में की गणना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी जो कि उस विशिष्ट वर्ष हेतु ARR के वास्तविकीकरण तक वेबसाईट पर बनी रहेगी।

67.8 जब तक आयोग द्वारा अन्यथा सूचित नहीं किया जाता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार की राशि एक साथ सम्मिलित करेगी जो कि एकल उपभोक्ताओं से उस अवधि के वास्तविक विक्रय हेतु वसूल की जानी है जिसके लिए देयक निम्नलिखित अवधि में बनाए जाएंगे :—

वर्ष की वह अवधि जिसके लिए परिवर्तनीय समायोजन लागत निर्धारण होना है		**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित परिवर्तनीय लागत प्रभार द्वैमासिक अवधि के लिए निकाले जाने वाले मासिक उपभोक्ता देयकों में सम्मिलित करेगी**
प्रथम द्वैमासिक अवधि	अप्रैल और मई	क्रमशः जुलाई और अगस्त महीनों की विक्रय हेतु अगस्त और सितम्बर में मासिक देयक निकाले जाएंगे
द्वितीय द्वैमासिक अवधि	जून और जुलाई	क्रमशः सितम्बर और अक्टूबर महीनों की विक्रय हेतु अक्टूबर और नवम्बर में मासिक देयक निकाले जाएंगे
तृतीय द्वैमासिक अवधि	अगस्त और सितम्बर	क्रमशः नवम्बर और दिसम्बर महीनों की विक्रय हेतु दिसम्बर और जनवरी में मासिक देयक निकाले जाएंगे
चतुर्थ द्वैमासिक अवधि	अक्टूबर और नवम्बर	क्रमशः जनवरी और फरवरी महीनों की विक्रय हेतु फरवरी और मार्च में मासिक देयक निकाले जाएंगे
पंचम द्वैमासिक अवधि	दिसम्बर और जनवरी	क्रमशः मार्च और अप्रैल महीनों की विक्रय हेतु अप्रैल और मई में मासिक देयक निकाले जाएंगे
षष्ठ द्वैमासिक अवधि	फरवरी और मार्च	क्रमशः मई और जून महीनों की विक्रय हेतु जून और जुलाई में मासिक देयक निकाले जाएंगे

परिवर्तनीय समायोजन लागत की दर तथा राशि उपभोक्ताओं के देयको में पृथक से प्रदर्शित की जाएगी।

67.9 द्वितीयक ईंधन ऑयल के लागत परिवर्तनों के साथ–साथ कोयले के सकल कैलोरी मूल्य और द्वितीयक ईंधन ऑयल में हुए परिवर्तनों का ध्यान वार्षिक निष्पादन समीक्षा में वास्तविकीकरण के समय रखा जाएगा। परिवर्तनीय समायोजन लागत लागू करने के कारण कोई अग्रेत्तर कम/अधिक वसूली का वास्तविकीकरण, लेखों के आधार पर वर्ष अंत के वास्तविकीकरण कार्य के भाग के रूप में और टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अथवा अंतिम वास्तविकीकरण के समय कर दिया जाएगा।

67.10 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित लेखा पुस्तिकाओं में भी R-15 की तरह अपने उपभोक्ताओं के देयको में डाले गये परिवर्तनीय लागत प्रभार की राशि दर्शाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित परिवर्तनीय लागत प्रभार के रूप में देयक में डाले गयी राशि की जानकारी पृथक लेखा शीर्ष के अंतर्गत भी रखेगी।

67.11 ई.एच.व्ही. तथा उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों में आने वाली समस्त उपभोक्ता श्रेणियों, जिनके लिए के.व्ही.ए.एच. आधार पर देयक बनाए जाते है ऐसे उपभोक्ताओं के लिए, परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार वास्तविक रिकार्ड किए गए kwh आधार पर लगाए जाएंगे।

67.12 ऐसे घरेलू श्रेणी (निम्नदाब 1 श्रेणी) उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 200 kwh से कम है से परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार उस स्लैब (निश्चित प्रभार+ऊर्जा प्रभार) के लिए प्रयोज्य कुल प्रभार का 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक संगणित परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार, जो भी कम हो, रहेगा।

67.13 टैरिफ आदेश के अनुसार अनुमत विद्युत क्रय की गयी मात्रा अथवा आयोग द्वारा विशिष्टतया अन्यथा अनुमोदित किए अनुसार, परिवर्तनीय समायोजन लागत अनुमति योग्य है। ऐसी विद्युत क्रय लागते जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने आर्थिक क्रय दायित्व का उल्लंघन करते हुए व्यय किया गया है उन्हें विचार में नहीं लिया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

67.14 नियामक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तनीय समायोजन लागत के कथित सूत्र को आयोग द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित और संशोधित किया सकेगा।

68. **गैर टैरिफ आयः**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुषांगिक कोई आय, जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से–जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, समानांतर संचालन, और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ, जिनमें विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय छोड़कर सम्मिलित हैं, से गैर टैरिफ आय निर्मित होगी।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर टैरिफ आय के अपने अनुमान का सम्पूर्ण विवरण, कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

69. **अन्य व्यापार से आय :**

जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यापार (विद्युत के व्यापार को छोड़कर) में लगा हुआ है वहां सकल राजस्व आवश्यकता में से ऐसे अन्य व्यापार से मिलने वाले राजस्व की दो तिहाई के समतुल्य राशि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु सकल राजस्व आवश्यकताओं में से टैरिफ की गणना करने में घटा दी जायेगी।

70. **क्रॉस सब्सिडी अधिभार के पेटे प्राप्तियां :**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रॉस सब्सिडी अधिभार के रूप में प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2011 के अनुसरण में आयोग द्वारा यथाअनुमोदित, समय–समय पर यथाप्रयोज्य और यथासंशोधित, को वास्तविकीकरण के समय ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकताओं में से टैरिफ की गणना करने में काट लिया जाएगा।

71 **33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली में विद्युत क्षतियां :**

71.1 33 के.व्ही. और नीचे के वोल्टेज स्तर हेतु विद्युत क्षति का मूल्यांकन राज्य ग्रिड संहिता, 2011 के खण्ड 4.2.5 और 8.4.3 को विचार में लेते हुए किया जाएगा। 33 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर डाली गई विद्युत और इसके समस्त उपभोक्ताओं (फुटकर और मुक्त उपयोग) को विक्रय की गई विद्युत, 33 के.व्ही. और नीचे के वोल्टेज स्तर पर, 33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली हेतु ऊर्जा क्षति होगी। वास्तविकीकरण के समय लाभ/हानि के लिए इसी को विचार में लिया जाएगा।

71.2 विक्रय की गई विद्युत, मीटरीकृत विक्रय और गैर मीटरीकृत विक्रय के मूल्यांकन, यदि कोई हो, आयोग की सतर्क जांच पर आधारित होगी।

71.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु 33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम के लिए हानि प्रक्षेपवक्र निम्नानुसार होगा :

वित्तीय वर्ष 2016–17	–	22.0%
वित्तीय वर्ष 2017–18	–	21.0%
वित्तीय वर्ष 2018–19	–	20.0%
वित्तीय वर्ष 2019–20	–	19.0%
वित्तीय वर्ष 2020–21	–	18.0%

अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ऐसा प्रक्षेपवक्र संबंधित टैरिफ आदेश में दिया जायेगा।

[1]{और यह कि यदि राज्य की उपयोगिता का कोई अनुबंध भारत सरकार और/अथवा छत्तीसगढ़ सरकार से है और इस अनुबंध में ऊर्जा हानि संबंधी प्रक्षेप वक्र इस विनियम में निर्दिष्ट ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र के विपरित है तो अनुबंध में सहमत ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र विनियम में दर्शाए गए ऊर्जा हानि प्रक्षेप वक्र की अपेक्षा अभिभावी होगा।}[1]

अध्याय–8
राज्य भार प्रेषण केन्द्र का व्यापार

72. **वार्षिक प्रभार :**

72.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वार्षिक प्रभारों को प्रणाली संचालन प्रभार और बाजार संचालन प्रभार के रूप में संगृहीत किया जाएगा। वार्षिक प्रभार एकल उत्पादको, लघु अवधि मुक्त उपयोग ग्राहकों, थोक उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर उन राज्यांतरिक एककों पर प्रभारित होंगे और वसूले जाएंगे जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि और मध्य अवधि सेवाओं का उपयोग कर रहे है।

1. विनियम क्रमांक 76/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से अन्तःस्थापित

73. **पूंजी निवेश योजना :**

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

74. **टैरिफ के घटक :**

74.1 वार्षिक प्रभार में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे, नामतः–

(क) साम्या पर प्रतिफल;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज;

(ग) मूल्य ह्रास;

(घ) संचालन और संधारण व्यय;

(ड.) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(च) पेंशन कोष में अंशदान;

74.2 साम्या पर प्रतिफलः

राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इन विनियमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अनुसार साम्या पर प्रतिफल अनुमत होगा।

74.3 ऋण पूंजी पर ब्याज :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट अनुसार ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार अनुमत होंगे।

74.4 मूल्य ह्रास :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार स्थिर आस्तियों के मूल्य पर मूल्य ह्रास वसूल करने की अनुमति दी जाएगी।

74.5 **संचालन और संधारण व्ययः**

(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु संचालन और संधारण व्यय में निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

(i) कर्मचारियों पर व्यय;

(ii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

(iii) मरम्मत और संधारण।

(ख) आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के लिए संचालन और संधारण व्ययों के प्रत्येक घटक नामतः, कर्मचारी व्यय, मरम्मत और संधारण व्यय तथा प्रशासनिक और सामान्य व्यय हेतु पृथक से प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्ट्री) तैयार की जाएगी।

कर्मचारी लागत :

(ग) पेंशन कोष अंशदान, वेतनमान पुनरीक्षण की बकाया राशि के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य व्यय को छोड़कर कर्मचारी लागत, अधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक कर्मचारी व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाली जाएगी जिसमें आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए पेंशन कोष अंशदान, वेतन पुनरीक्षण बकाया के प्रभाव और अनावर्ती प्रकृति के अन्य ऐसे व्यय सम्मिलित नहीं होंगे

जो आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2015–16 के तुरंत पूर्व के पिछले पांच (5) वर्षो के लेखाओं में उपलब्ध हो। पिछले पांच (5) वर्षो के सामान्यीकृत औसत को निर्धारित करते समय गैर आवर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय भी उसमें से निकाल दिया जाएगा।

(घ) सामान्यीकरण का कार्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में वर्षानुवर्षी आधार पर विगत पांच वर्ष की औसत बढ़त को लागू करते हुए किया जाएगा। तब वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत, वर्ष 2015–16 के आधार वर्ष मूल्य को प्रक्षेपित (प्रोजेक्ट) करने में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जाएगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार, उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उस वर्ष के दौरान हुई वास्तविक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनरीक्षण (एरियर्स को सम्मिलित करते हुए) और पेंशन कोष अंशदान के प्रभाव को लेखों के वास्तविकीकरण के दौरान वास्तविक रूप से, आयोग की सतर्क जांच और ऐसे किसी अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना उचित समझे, के अधीन अनुमत किया जाएगा।

प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय

(ड.) आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रशासनिक और सामान्य व्यय एवं मरम्मत और संधारण के व्यय को वास्तविक प्रशासनिक और सामान्य व्ययों और मरम्मत एवं संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जाएगा जो आयोग की परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए आधार वर्ष 2015–16 के ठीक पूर्ववर्ती पांच (05) वर्षो के लेखों में क्रमशः उपलब्ध हो। पिछले पांच (5) वर्षो के सामान्यीकृत औसत का निर्धारण करते समय गैर आवर्ती प्रकृति के किसी व्यय को छोड़ दिया जाएगा।

(च) वास्तविकीकरण का कार्य वर्षानुवर्षी आधार पर पिछले पांच (5) वर्षो की थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को लागू करते हुए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय 2014–15 हेतु सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग, तब वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आधार वर्ष मूल्य प्रेक्षेपित करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य को, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर में से परिवर्धित किया जाएगा जिससे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रशासनिक और सामान्य व्यय तथा मरम्मत और संधारण व्ययों को अनुमानित किया जा सके।

वास्तविकीकरण के समय, प्रशासनिक और सामान्य व्ययों तथा संचालन और संधारण व्ययों पर विचार उस अवधि के लिए पूर्व अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(छ) 31 मार्च, 2016 के बाद शुरू हुए नवीन लाईनों/उपकेन्द्रों के लिए अतिरिक्त संचालन और संधारण व्ययों की अनुमति आयोग द्वारा सतर्क जाँच के अधीन, वास्तविकीकरण करते समय दी जायेगी।

74.6 **कार्यशील पूंजी पर ब्याज**–

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार दी जायेगी।

75. **शुल्क और प्रभारों की लेवी तथा संग्रहण :**

[1]{75.1 **संग्रहण :**

अ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा इस विनियम द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार लिया जाएगा।

ब) राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस विनियम में निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क का निर्धारण एवं वसूली उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा। पंजीकरण शुल्क का निर्धारण एवं वसूली उनसे नहीं किये जावेंगे जिन पर विनियम की कंडिका 2.2 लागू नहीं होती है।

स) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अन्य विनियमों में निर्दिष्ट उत्पादन कंपनियों, अनुज्ञप्तिधारियों एवं पावर एक्सचेंज से शुल्क एवं प्रभार निर्धारण तथा वसूली हेतु प्राधिकृत होगा। }[1]

75.2 **प्रणाली संचालन प्रकार्य और बाजार संचालन प्रकार्य हेतु वार्षिक प्रभारों के घटकों का आबंटन और प्रभाजन :**

(क) राज्य प्रणाली संचालन प्रकार्य की ओर वार्षिक प्रभार, वार्षिक प्रभारों का 80 प्रतिशत समाविष्ट होगा।

(ख) राज्यांतरिक बाजार संचालन प्रकार्य की ओर वार्षिक प्रभार, वार्षिक प्रभारों का शेष 20 प्रतिशत समाविष्ट होगा।

(ग) प्रणाली संचालन प्रभारों और बाजार संचालन प्रभारों हेतु वार्षिक प्रभारों के आबंटन का अनुपात आयोग द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित और निश्चित किया जाएगा।

75.3 **प्रणाली संचालन प्रभार और बाजार संचालन प्रभार हेतु वार्षिक प्रभारों का निर्धारण :**

इन विनियमों के विनियम 75.2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रणाली संचालन प्रभारों और बाजार संचालन प्रभारों का निर्धारण, वार्षिक प्रभारों के विभिन्न घटको की आबंटित और/अथवा प्रभाजित राशि को जोड़कर किया जाएगा।

75.4 **प्रणाली संचालन प्रभार :**

(क) प्रणाली संचालन प्रभार निम्नलिखित मापदण्डो के अनुसार संगृहीत किए जाएंगेः–

(i) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारीगण) (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) : प्रणाली संचालन प्रभार का 10 प्रतिशत

(ii) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र को छोड़कर) : प्रणाली संचालन प्रभार का 45 प्रतिशत

(iii) राज्यांतरिक क्रेता (थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) : प्रणाली संचालन प्रभार का 45 प्रतिशत

परंतु यदि राज्यांतरिक अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारीगण) (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं तो प्रणाली संचालन प्रभारों का संग्रह, राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं से निम्नलिखित मानदण्डो के अनुसार किया जाएगाः–

(i) राज्यांतरिक विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र को छोड़कर) : प्रणाली संचालन प्रभार का 50 प्रतिशत

(ii) राज्यांतरिक क्रेता (थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर) : प्रणाली संचालन प्रभार का 50 प्रतिशत

1. विनियम क्रमांक 76/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित

(ख) प्रणाली संचालन प्रभारों की वसूली राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) से उनकी स्वामित्व की लाईनों, जैसी वे बिलिंग माह से पूर्व माह के अंतिम दिवस को थी, के सर्किट किलोमीटर आधार पर, की जाएगी।

(ग) राज्यांतरिक विक्रेताओं से राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु प्रणाली संचालन प्रभार, उनकी संविदाकृत क्षमता के आधार पर संगृहीत किए जाएंगे।

(घ) राज्यांतरिक क्रेताओं से राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु प्रणाली संचालन प्रभार, उनकी संविदाकृत क्षमता के आधार पर संगृहीत किए जाएंगे।

टीपः

उपर्युक्त प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ताओं, केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे। आगे यह प्रभार अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं पर भी लागू नहीं होगा, जो विद्युत की मात्रा को केवल लघु अवधि मुक्त उपयोग मार्ग से प्राप्त अथवा विक्रय कर रहे है।

75.5 बाजार संचालन प्रभारों का संग्रहण :

समस्त राज्यांतरिक विक्रेताओं और राज्यांतरिक क्रेताओं से चाहे उनकी संविदाकृत क्षमता कुछ भी हो, बाजार संचालन प्रभार सामान रूप से संगृहीत किए जाएंगे।

टीपः

उपर्युक्त प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ताओं, केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे। आगे यह प्रभार अन्य राज्यांतरिक क्रेताओं और राज्यांतरिक विक्रेताओं पर भी लागू नहीं होगा, जो विद्युत की मात्रा को केवल लघु अवधि मुक्त उपयोग मार्ग से प्राप्त अथवा विक्रय कर रहे है। परन्तु यदि राज्यांतरिक विक्रेता कोई उत्पादन कंपनी है तो वह इन प्रभारों का भुगतान उत्पादन केन्द्रवार करेगी।

75.6 अन्य मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं के लिए शुल्क और प्रभार :

(क) उपर्युक्त के अंतर्गत न आने वाले लघु अवधि मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं (राज्यांतरिक क्रेता और राज्यांतरिक विक्रेता) हेतु शुल्क एवं प्रभार केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों के अनुसार रहेंगे (अर्थात् लघु अवधि अंराज्यीय मुक्त उपयोग लेने वाले राज्यांतरिक एकक हेतु)।

(ख) इस प्रकार लघु अवधि मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं से संगृहीत ऐसे प्रभार राज्य भार प्रेषण केन्द्र की ''विविध आय'' समझे जाएंगे। राज्य भार प्रेषण केन्द्र लघु अवधि मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं से अर्जित राजस्व के लिए पृथक लेखे संधारित करेगा।

75.7 1{पंजीयन शुल्क :

अ) सभी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारी (विनियम 2.2 में उल्लेखित को छोड़कर) जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से जुड़ना चाहते है वे अपना स्वयं का पंजीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र से कराने हेतु विनियम में निर्धारित प्रारूप V में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह पंजीकरण दस वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगा एवं उसके पष्चात् उसका नवीनीकरण आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार का भुगतान किया जावेगा परंतु यह कि पूर्व से ही राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत सभी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों का पंजीकरण दिनांक से दस वर्षो के लिए वैध होगा।

टीपः मालिकाना हक में परिवर्तन/अंतरण को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित किया जाना आवष्यक होगा।

ब) विद्युत उत्पादन संयंत्र (केप्टिव उत्पादन संयंत्रो को समाहित करते हुए) पंजीकरण हेतु आवेदन 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता हेतु रू. 10 लाख या 50 मेगावाट से कम स्थापित क्षमता हेतु रू. 5 लाख शुल्क के साथ जमा करेंगे।

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को अपने उत्पादन इकाइयों को पंजीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र में रू. 2 लाख भुगतान कर करना होगा (स्थापित क्षमता को विचार किए बिना)। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों की इस आषय का प्रमाण पत्र राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यह कि अकेले चल सकने योग्य उत्पादक जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग विद्युत के मापन अथवा लेखांकन, RE प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी प्रयोजन हेतु जो कि आयोग द्वारा समय–समय पर आदेषित हो उन्हें भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। उक्त स्थिति में स्थापित क्षमता का विचार किये बिना रू. 1 लाख शुल्क लागू होगा।

(स) समस्त उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाये लेना चाहते है उनका रू. 10 लाख पंजीकरण शुल्क होगा।

(द) उत्पादन कंपनियों (केप्टिव उत्पादन संयंत्रो सहित) एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने की दषा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग के संज्ञान में यह बात ला सकता है।

(इ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्त आवेदनों की जांच करने के पष्चात एवं उसमे प्रस्तुत जानकारियों के सही पाये जाने र आवेदन का पंजीकरण करेगा और आवेदक को तत्संबंध में स्वीकृति बाबत् सूचित करेगा।

(ई) एक बार भुगतान किया हुआ पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। यदि उत्पादन केन्द्र अपनी क्षमता जो कि 50 मेगावाट से कम है को 50 मेगावाट से ज्यादा करता है तो अंतर की राषि रू. 5 लाख का भुगतान करना होगा।

(उ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र सभी पंजीकृत उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अपने वेबसाईट पर संधारित करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र और राज्य आंतरिक पारेषण नेटवर्क से संयोजित अनुज्ञप्तिधारियों एवं वितरण नेटवर्क और उसके द्वारा निगरानीकृत/सेवाकृत के बारे में समेकित जानकारी आयोग को प्रतिवर्ष अप्रेल माह के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

(ऊ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र पंजीयन हेतु समस्त आवेदनों का निपटारा 30 दिवसों के भीतर कर देगा। विचारण में विलम्ब अथवा इन्कार करने की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आवेदक को उसके बारे में वैध कारणों सहित, उपर्युक्त समय–सीमा पूरी होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा।

टीपः

समस्त उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पास पंजीयन कराना आवष्यक होगा। इनमें उत्पादन संयंत्र, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे संयोजित अनुज्ञप्तिधारी, एकल उत्पादन संयंत्र जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं और अन्य राज्यांतरिक एकक (entity) प्रयोग करते है, सम्मिलित होंगे।}[1]

76 **बिलिंग और अन्य विविध प्रावधान :**

76.1 बिलिंग और प्रभारों का भुगतान :

(क) प्रणाली संचालन प्रभार और बाजार संचालन प्रभार हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मासिक आधार पर, इन विनियमों के अनुसरण में देयक निकाले जाएंगे, और संबंधित राज्यांतरिक एकको (entities) द्वारा भुगतान सीधे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किया जाएगा।

(ख) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभारों के भुगतान में बारंबार चूक को आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

अध्याय–9
जानकारी की प्रस्तुति एवं टैरिफ और अन्य प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना

77 **टैरिफ और अन्य प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना को दाखिल करना (फाइलिंग) :**

77.1 प्रत्येक उपक्रम, जो धारा–62 के अधीन आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण का विकल्प देता है, उसे विहित प्रक्रिया अनुसार विहित प्रपत्रों में टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व दाखिल करना आवश्यक होगा।

77.2 यदि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, टैरिफ या प्रभारों के पुनरीक्षण के माध्यम से ऐसे अंतर या अंतर के भाग को पूरा करने की इच्छुक है, तो उसे आयोग के समक्ष सम्यक् याचिका इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करनी होगी कि टैरिफ या प्रभारों को आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रयोज्य किया जाए।

78. **टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व–प्रक्रिया :**

पूर्ववर्ती अवधि के अंकेक्षित आंकड़ों के अभाव में उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी अनंतिम लेखों (प्रोव्हिजनल एकाउंट्स) के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण में वह, स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के साथ सम्यक् वार्षिक संशोधनों का समावेश करने के बाद कम्प्यूटरीकृत बिलिंग/वित्तीय लेखांकन प्रणाली (ऐसी प्रणाली के उपलब्ध होने पर) के सत्यापित और पुष्टि किए गए आंकड़ों का उपयोग करेगा।

79. **टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के दाखिले (फाइलिंग) हेतु प्ररूप :**

अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व को आयोग के समक्ष, आयोग द्वारा विहित सम्यक् प्रपत्रों में, दाखिल करेंगे।

1. विनियम क्रमांक 76/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016 द्वारा दिनांक 02.06.2017 से प्रतिस्थापित

80. शुल्क, जानकारी का प्रदर्षन और आंकड़ों का सत्यापन :

80.1 आवेदन षुल्क :

प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अधीन जानकारी प्रस्तुत करते समय आयोग को किसी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

80.2 जानकारी का प्रदर्शन :

उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों से प्ररूपों में प्राप्त जानकारी आयोग/ उत्पादक/अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

80.3 परस्पर जांच और पुष्टि :

आयोग के पास टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व की गणना के भाग के रूप में, किसी भी समय, जैसा आयोग आवश्यक समझे, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से उपलब्ध कराई गई जानकारी की परस्पर जांच और सत्यता की पुष्टि का अधिकार रहेगा। आंकड़ों के सत्यापन और अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा व्यक्त मान्यताओं के परीक्षण हेतु आयोग कोई परामर्शदाता भी नियुक्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी को इस संबंध में जब भी आयोग द्वारा वांछित हो ऐसी जानकारी तक पहुंच उपलब्ध करानी होगी।

अध्याय–10
प्रकीर्ण

81. संचालन के मानदंडों का उच्चतम सीमाकारक होना :

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संचालन के मानदंड उच्चतम सीमाकारक मानदंड हैं और वे यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राहियों और दीर्घावधि पारेषण ग्राहकों को संचालन के सुधरे हुए मानदंडों को अंगीकार करने/व्यवहार में लेने से विरत नहीं करते ।

82. आवेदन शुल्क और प्रकाषन व्यय :

आवेदन दाखिल करने का शुल्क और टैरिफ के अनुमोदन हेतु आवेदन में सूचनाओं के प्रकाशन पर होने वाले व्यय, यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/ राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीधे यथास्थिति, हितग्राहियों या पारेषण ग्राहकों से यथास्थिति वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

83. छूट देने की शक्ति :

आयोग स्वप्रेरणा या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए किसी आवेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकेगा ।

84 व्यावृत्तियां और निरसन (Saving and repeal) :

84.1 इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण और उसे पारित करने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी, जो पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो।

84.2 इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे।

85. **कठिनाइयॉं हटाने की शक्ति :**

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी आदेश द्वारा और उन्हें, जो ऐसे आदेश से प्रभावित हो सकते हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रावधान, जो इन विनियमों या अधिनियम से असंगत न हो, कर सकेगा, जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन. सिंह)
सचिव

परिशिष्ट –1
मूल्य ह्रास अनुसूची

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	अवमूल्यन सूची (अवशेष मूल्य = 10 प्रतिशत) एस.एल.एम.
(1)	(2)	(3)
ए.	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.0%
बी.	पट्टे पर ली गई भूमि	
क)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
ख)	स्थल क्लियरिंग की लागत हेतु	3.34%
ग)	जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
सी.	क्रय की गई आस्तियॉ	
क)	उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी	
(i)	जल विद्युत	5.28%
(ii)	भाप विद्युत एन.एच.आर.बी. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स / संयंत्र	5.28%
(iii)	डीजल विद्युत और गैस संयंत्र	5.28%
ख)	कूलिंग टावर्स और जल प्रणालियॉ	5.28%
ग)	जलीय विद्युत प्रणाली, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार्य का भाग है	5.28%
(i)	बांध, स्पिलवेज वियर्स, नहरें, आर.सी.सी. के स्लूस गेट और साइफन	5.28%
(ii)	आर.सी.सी. पाईप लाइनें और सर्ज टैंक, स्टील पाइप लाइने, स्लूस गेट, स्टील सर्ज टैंक, हाइड्रोलिक कन्ट्रोल वाल्व व अन्य हाइड्रोंलिक समान	5.28%
घ	भवन व सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	
(i)	कार्यालय और शो–रूम	3.34%
(ii)	समाविष्टकारी संयंत्र और उपकरण (थर्मो इलेक्ट्रिक सहित)	3.34%
(iii)	कच्चे निर्माण, जैसे– लकड़ी की संरचनाएं	3.34%
(iv)	कच्ची सड़कें	100%
(V)	अन्य	3.34%
ड.	ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मस उपकेन्द्र के उपस्कर (किओस्क) व अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र फाउन्डेशन सहित):–	5.28%
च	केबल कनेक्शन सहित स्विचगेयर,	5.28%
छ	लाइटनिंग अरेस्टर्स	5.28%
डी	बैटरियॉ	5.28%

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	अवमूल्यन सूची (अवशेष मूल्य = 10 प्रतिशत) एस.एल.एम.
(1)	(2)	(3)
(i)	ज्वाईंट बाक्सेज़ व डिसकनेक्टेड बाक्सेज़ सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
ई	केबल सपोर्ट सहित ओव्हरहेड लाईन	
(i)	66 किलोवोल्ट से उच्चतर नामिनल वोल्टेज पर फेब्रिकेटेड इस्पात पर डाली गई लाईन	3.34%
(ii)	13.2 किलोवोल्ट से उच्चतर परन्तु 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं की नामिनल वोल्टेज पर इस्पात सपोर्ट पर डाली गई लाईन	5.28%
(iii)	इस्पात अथवा प्रबलित कांक्रीट पोल पर लाईन	5.28%
(iv)	संसाधित लकड़ी के पोल पर लाईन	5.28%
एफ	मीटर्स	5.28%
जी.	स्वचालित वाहन	9.50%
एच.	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(i)	पोर्टेबल	9.50%
आई.		
(i)	कार्यालयीन फर्नीचर व फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
(iii)	फिटिंग व उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	सड़क बत्ती फिटिंग	5.28%
जे.	किराये पर दिया गया उपरकण	
(i)	मोटर से भिन्न	9.50%
(ii)	मोटर्स	6.33%
के.	संचार उपकरण	6.33%
एल.	सूचना प्रद्यौगिकीय उपकरण	15.00%
एम.	साफ्टवेयर	30.00%
एन.	उपर्युक्त से भिन्न कोई अन्य आस्तियां	5.28%

—————————

परिशिष्ट –2

Qpp और Qrs (MU) की संगणना			
क्रमांक	विशिष्टियां (विवरण)		
1	छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के तापीय विद्युत केन्द्रों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा	Q_1	
2	छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के जलीय विद्युत केन्द्रों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा	Q_2	
3	छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के नवीकरणीय केन्द्रों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा	Q_3	
4	CGS से क्रय की गई अनूसचित विद्युत की मात्रा	Q_4	
5	द्वैमासिक अवधि हेतु वास्तविक औसत हानियां	L_1	
6	राज्य परिधि में CGS से क्रय की गई अनुसूचित विद्युत की मात्रा	$Q_5 = Q_4 \text{ x } (1-L_1)$	
7	नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत की वास्तविक मात्रा	Q_6	
8	IPP और CGP से क्रय की गई लघु अवधि विद्युत की वास्तविक मात्रा	Q_7	
9	अंतराज्यीय पथ के माध्यम से क्रय की गई लघु अवधि अनुसूचित मात्रा	Q_8	
10	राज्य परिधि पर क्रय की गई लघु अवधि अनुसूचित मात्रा	$Q_9 = Q_8 \text{x } (1-L_1)$	
11	अन्य स्त्रोत (यदि कोई हो) से क्रय की गई विद्युत की मात्रा	Q_{10}	
12	कुल क्रय की गई विद्युत की मात्रा	$Q_{pp} = Q_1+Q_2 + Q_3 + Q_5$ $Q_6 + Q_7 +Q_9 + Q_{10}$	
13	मानदंडीय पारेषण और वितरण की हानियां, टैरिफ आदेश में यथा विनिर्दिष्ट	L	
14	अंतराज्यीय विक्रय के लिए अनुसूचित विद्युत की मात्रा	Q_{PT}	
15	राज्य में फुटकर उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाने हेतु क्रय की गई विद्युत की कुल मात्रा	$Q_{RS} = Q_{PP} - Q_{PT}$	

परिशिष्ट–3

सी.जी.एस. से क्रय विद्युत की लागत में परिवर्तन (CHPP) की संगणना

क्र.	**प्रथम द्वैमासिक अवधि**									
	केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र का नाम	पहला महीना								
		संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF_{M})	मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)	वार्षिक स्थिर लागत, (AFC)	माह मे अनुसूचित ऊर्जा (MU) (SE1)	माह में क्षमता प्रभार (रू.) ''A1"	ऊर्जा प्रभार दर (रू./kwh)	ऊर्जा प्रभार (रू.) ''B1"	कर (रू.) ''C1"	कुल (रू.) ''A1+B1+C1"
1	एन.टी.पी.सी. कोरबा									
2	एन.टी.पी.सी. सीपत									
3										
4										
5										
6										
7	एन.एस.पी.सी.एल.									
8	कुल तापीय									
9	नाभिकीय									
10	जलीय									
	समस्त स्त्रतों से कुल									

क्र.	**प्रथम द्वैमासिक अवधि**									
	सीजीएस का नाम	**दूसरा महीना**								
		संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF_M)	मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)	वार्षिक स्थिर लागत, (AFC)	माह मे अनुसूचित ऊर्जा (MU) (SE1)	माह में क्षमता प्रभार (रू.) ''A1"	ऊर्जा प्रभार दर (रू./kwh)	ऊर्जा प्रभार (रू.) ''B1"	कर (रू.) ''C1"	कुल (रू.) ''A1+B1+C1"
1	एन.टी.पी.सी. कोरबा									
2	एन.टी.पी.सी. सीपत									
3										
4										
5										
6										
7	एन.एस.पी.सी.एल.									
8	कुल तापीय									
9	नाभिकीय									
10	जलीय									
	समस्त स्त्रतों से कुल									

सी.जी.एस. से क्रय विद्युत की लागत में परिवर्तन (CHPP) की संगणना

द्वैमासिक अवधि के लिए अनुसूचित ऊर्जा (SE1+SE2)	MU	Q_{CGS}		
टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत क्रय लागत की औसत दर	Rs/kwh	R_{PP1}		
समायोजन अवधि के दौरान क्रय की गई विद्युत लागत की वास्तविक औसत दर	Rs/kwh	R_{pp2} = (X1+X2)/ Q_{CGS}		
CHPP	Rs	CHPP = Q_{CGS} x (R_{PP2} - R_{pp2} = (X1+X2)/ R_{PP1}		

परिशिष्ट –4

परिवर्तनीय समायोजन लागत प्रभार की संगणना			
क्रमांक	**विवरण**		
1	प्राथमिक ईंधन लागत में परिवर्तन (CHFC)	Rs	
2	सी.जी.एस. से क्रय विद्युत की लागत में परिवर्तन (CHPP)	Rs	
3	सकल परिवर्तनीय समायोजन लागत (sub-total in Rs.)	Rs	
4	अनुमतेय परिवर्तनीय समायोजन लागत (in Rs.)	Rs.	
5	अनुमतेय परिवर्तनीय समायोजन लागत (inRs/kwh)=(CHFC+CHPP)/Qpp x (1-L)	Rs/kwh	

परिशिष्ट – 5

(विनियम 75.7 के अनुसरण में)

1. एकक का नाम (entity)(मोटे अक्षरों में) :

2. पंजीकृत कार्यालय का पता :

3. क्षेत्र जिसमें पंजीयन वांछित है :

4. राज्यांतरिक उपयोगकर्ता श्रेणीः

(i) उत्पादन संयंत्र

(ii) केप्टिव उत्पादन संयंत्र

(iii) नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र

(iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी

(v) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

5. राज्यांतरिक उपयोगकर्ता विवरण (मौजूदा उपयोगकर्ता और यदि कोई हो तो, परवर्ती बदलाव हेतु पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में)

i श्रेणी – उत्पादन संयंत्र / नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र / केप्टिव उत्पादन संयंत्र

क. कुल स्थापित क्षमता

ख. राज्यांरिक पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु अधिकतम संविदाकृत क्षमता (मेगावाट में)

ग. राज्यग्रिड के साथ अंतरसंयोजन का उद्देश्य (कृपया सही विकल्प अंकित करें)

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय हेतु (लघु अवधि / मध्यम अवधि / दीर्घ अवधि)

(ii) केप्टिव उपयोग को प्रदाय हेतु (लघु अवधि / मध्यम अवधि / दीर्घ अवधि)

(iii) थोक उपभोक्ता को प्रदाय हेतु (लघु अवधि / मध्यम अवधि / दीर्घ अवधि)

(iv) उपर्युक्त के अलावा अन्य को प्रदाय हेतु (लघु अवधि / मध्यम अवधि / दीर्घ अवधि)

घ. राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली से संयोजन के विवरणः

क्रमांक	(i) EHV S/s. का नाम	(ii) वोल्टेज स्तर (के.व्ही.)	क्या स्थल पर विशेष ऊर्जा मीटर (मेन) लगे हुए है

ii श्रेणी – पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्यांतरिक)

क. उपकेन्द्रः

क्रमांक	उपकेन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर की संख्या	कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता अथवा यदि स्विचिंग केन्द्र है तो डिजाइन MVA संभालने की क्षमता

ख. पारेषण लाइनें

कमांक	वोल्टेज स्तर (के.व्ही.)	पारेषण लाइनों की संख्या	कुल सर्किट कि.मी.

6. राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित मामलों के लिए संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरणः

i नामः

ii पदनामः

iii लैंडलाइन फोन नंबरः

iv मोबाइल नंबरः

v ई–मेल पताः

vi डाक का पताः

उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान — नाम :

दिनांक — पदनाम :

संपर्क नंबर :